भोपाल, दिनांक 20 जून 2024

क्रमांक, **1508/मप्रविनिआ/2024** – विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2)(ज) तथा 181(2)(यघ) सहपठित धारा 36 तथा 61 में प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–पंचम), विनियम, 2024 {आरजी – 28 (V), वर्ष 2024}

प्रस्तावना (PREAMBLE)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें, 2020 {आरजी–28(IV), वर्ष 2020} की पंचवर्षीय नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24) का समापन दिनांक 31.03.2024 को हो चुका है। आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि से संरेखित पांच वर्षों की अवधि हेतु सिद्धान्तों तथा क्रियाविधियों को विनिर्दिष्ट करने का निर्णय लिया है। अतएव, आगामी नियंत्रण अवधी वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 हेतु विद्युत पारेषण टैरिफ की निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करने हेतु ये विनियम बनाया जाना आवश्यक हो गया है:–

अध्याय – एक

प्रारंभिक (Preliminary)

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ (Short Title and Commencement) :

(1.1) येविनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–पंचम), विनियम, 2024 {आरजी–28 (V), वर्ष 2024}" कहलाएंगें।**

(1.2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(1.3) ये विनियम दिनांक 1 अप्रैल 2024 से प्रभावशील होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनका किसी प्रकार पुनर्विलोकन न किया जाए अथवा समयावधि में विस्तार न किया जाए, ये विनियम पांच वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 31 मार्च 2029 तक प्रभावशील रहेंगे।

2. विस्तार तथा लागू किये जाने की सीमा (Scope and extent of application) :

ये विनियम विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों/ निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रभारित किये जाने वाले राज्यान्तरिक (Intra-state) विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी समस्त प्रकरणों पर लागू होंगे

जिन हेतु पारेषण प्रणाली की क्षमता का आवंटन समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अधीन किया गया हो :

परन्तु यह कि रू. 400 करोड़ (रूपये चार सौ करोड़) की उच्चतम सीमा (threshold limit) से अधिक समस्त नवीन राज्यान्तरिक पारेषण परियोजना(ओं) हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा तथा आयोग द्वारा इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी सुसंगत दिशा–निर्देशों (तथा इसके संशोधनों) के अनुसार कराया जाकर अपनाया जाएगा।

3. **प्रचालन के मानदण्डों के परिसीमन का उच्चस्थ होना (Norms of Operation to be Ceiling Norms)** :

शंकाओं के निवारण के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रचालन के मानदण्डों का परिसीमन उच्चस्थ है तथा यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों को प्रोन्नत मानदण्डों पर सहमति से प्रतिबाधित नहीं करेगा तथा इस प्रकार से सहमत किये गये प्रोन्नत मानदण्ड विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे।

4. **परिभाषाएं तथा व्याख्याएं (Definitions and Interpretations)**:

(4.1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) **''अधिनियम (Act)''** से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(2) **''लेखांकन विवरण–पत्र (Accounting Statement)''** से अभिप्रेत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण–पत्र, अर्थात्:–

(एक) समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्ररूप के अनुसार तैयार किया गयातुलन–पत्र (Balance Sheet); मय संबंधित टिप्पणियों तथा ऐसे अन्य सहायकविवरण–पत्रों तथा जानकारी के, जैसा कि आयोग समय–समय पर निदेर्शित करे ;

(दो) समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की सुसंबद्ध अनुसूची तथा इसके संशोधनों की आवश्यकताओं के अनुपालन में लाभ तथा हानि का लेखा (Profit and Loss Account);

(तीन) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंट्स ऑफ इण्डिया) के रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्र (cash flow statement) के सुसंबद्ध लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया रोकड़ प्रवाह विवरण–पत्र;

(चार) अनुज्ञप्तिधारी के अंकेक्षक(ों) का प्रतिवेदन;

(पांच) संचालक/निदेशक का प्रतिवेदन तथा लेखांकन नीतियां;

(छः) समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये लागत अभिलेख (cost records), यदि कोई हो;

(3) **''अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (Additional Capital Expenditure)''** से अभिप्रेत है इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात् किया गया पूंजीगत व्यय (capital expenditure) या जिसे उपगत किया जाना प्रक्षेपित किया गया है;

(4) **''अतिरिक्त पूंजीकरण (Additional Capitalization)''** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात स्वीकार किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय;

(5) **''स्वीकृत पूंजीगत लागत (Admitted Capital Cost)''** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जिसे आयोग द्वारा सुसंबद्ध विद्युत–दर (टैरिफ) विनियमों के अनुसार विधिवत युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से सेवा प्रदाय (servicing) हेतु अनुज्ञेय किया गया हो;

(6) **''अंकेक्षक (Auditor)''** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) के उपबंधों अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रचलित विधि के अंतर्गत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई अंकेक्षक;

(7) **''उपलब्धता (Availability)''** से, किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में किसी दी गई समयावधि हेतु, अभिप्रेत है उक्त अवधि में घंटों में समय जिस हेतु पारेषण प्रणाली उसके द्वारा घोषित वोल्टेज पर विद्युत् पारेषण उसके वितरण बिन्दु तक ले जाने में सक्षम है तथा इसे दिए गए समय हेतु कुल घंटों के प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाएगा ;

(8) **''हितग्राही/लाभार्थी (Beneficiary)''** से अभिप्रेत है दीर्घ–अवधि, मध्यम–अवधि अथवा लघु–अवधि के पारेषण उपभोक्ता जिनके लिये विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों के अधीन किया जाता हो;

(9) **''पूंजीगत लागत (Capital Cost)''** से अभिप्रेत है पूंजीगत लागत जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 19 तथा 20 के अनुसार अवधारित किया गया हो;

(10) **''कानून में परिवर्तन (Change in Law)''** से अभिप्रेत है निम्न में से किसी भी घटना का होनाः

(एक) किसी नवीन भारतीय कानून का अधिनियमन, इसको प्रभावशील किया जाना या प्रवर्तित किया जाना; अथवा

(दो) किसी विद्यमान भारतीय कानून को अपनाना, उसमें संशोधन करना, संपरिर्वतन करना, निरस्त करना या उसे पुनः अधिनियमित करना; अथवा

(तीन) किसी ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधिकरण (Tribunal), अथवा भारतीय सरकार के किसी माध्यम (Instrumentality) द्वारा जिसे ऐसी व्याख्या तथा अनुप्रयोग हेतु कानून के अन्तर्गत अन्तिम प्राधिकार प्राप्त हो, किसी भारतीय कानून के निर्वचन या अनुप्रयोग में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(चार) किसी सक्षम वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किसी परियोजना हेतु किसी सम्मति या स्वीकृतिया अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त की गई अनुज्ञप्ति के बारे में किसी शर्त या समझौते में परिवर्तन किया जाना; अथवा

(पांच) इन विनियमों के अधीन विनियमित विद्युत पारेषण प्रणाली से संबंधित, भारत सरकार तथा किसी अन्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न सरकार के मध्य किसी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय अनुबंध/संधि का लागू होना या उसमें कोई संपरिवर्तन किया जाना;

(11) **"आयोग (Commission)"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग;

(12) **"संचार प्रणाली (Communication System)"** में सम्मिलित है मध्यप्रदेश पावर ट्रासंमिशन कंपनी लिमिटेड की संचार प्रणाली जिसके अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण तथा संचार योजना (SLD&C), स्काडा (SCADA), वृहद् क्षेत्र मापन प्रणाली (WAMS), तन्तुक प्रकाशीय संचार प्रणाली (Fiber Optic Communication System), सुदूर सीमान्त इकाई (Remote Terminal Unit), निजी स्वचालित शाखा केन्द्र, रेडियो संचार प्रणाली (Radio Communication System) तथा सहायक विद्युत् प्रदाय प्रणाली (Auxiliary Power Supply System) आदि सम्मिलित हैं जिनका उपयोग विद्युत् के राज्यान्तरिक पारेषण प्रबंधन मे ं किया जाता है;

(13) **"प्रतिस्पर्धी बोली (Competitive Bidding)"** से अभिप्रेत है उपकरणों की अधिप्राप्ति, सेवाओं तथा कार्यों के निष्पादन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत परियोजना विकासक द्वारा खुले विज्ञापन के माध्यम सेपरियोजना हेतु उपकरणों का विस्तार क्षेत्र तथा विशिष्टताओं, सेवाओं तथा अपेक्षित कार्यों बाबत् बोलियां आमंत्रित की जाती हैं तथा प्रस्तावित अनुबंध की निबंधन तथा शर्तें तथा वे मानदण्ड जिनके द्वारा प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है, सम्मिलित की जाती हैं तथा इस प्रक्रिया में स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोलियों (domestic competitive bidding) तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलियों (international competitive bidding)को भी सम्मिलित किया जाता है;

(14) **''पृथक्कृत तिथि (Cut-off Date)''** से अभिप्रेत है परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से छत्तीस माह पश्चात् के कैलेण्डर माह की अन्तिम तिथि;

(15) **''दिवस (Date)''** से अभिप्रेत है, कैलेण्डर दिवस जिसमें 00.00 बजे से प्रारंभ होने वाली 24 घंटे की अवधि सम्मिलित है;

(16) **''वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (Date of Commercial Operation - COD)"** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 में परिभाषित किया गया है;

(17) **''अपूंजीकरण (De-Capitalization)''** से इन विनियमों के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के प्रयोजन हेतु अभिप्रेत है, परियोजना की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) में कमी की जाना जैसा कि आयोग द्वारा परिसम्पत्तियों के अन्तर–इकाई अन्तरण या फिर सेवा से निष्कासित की गई परिसम्पत्तियों से तत्संबंधी स्वीकार किया गया है;

(18) **''अक्रियाशील करना (De-Commissioning)''** से अभिप्रेत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण या अन्य किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्वयं या फिर परियोजना विकासक द्वारा या हितग्राहियों/लाभार्थियों अथवा दोनों द्वारा इस आशय की सूचना प्रेषित करने के पश्चात् कि परियोजना का संचालन प्रौद्योगिक अप्रचलन या अलाभकर परिचालन या फिर इन कारकों के संयोजन के कारण भी परिसम्पत्तियों के अनिष्पादन के कारण किया जाना संभव नहीं है, किसी पारेषण प्रणाली को, उसकी संचार प्रणाली अथवा उसके किसी घटक को सम्मिलित करते हुए, सेवा से हटाए जाने से है;

(19) **''घटक (Element)''** से अभिप्रेत किसी परिसम्पत्ति/आस्ति (Asset) से है जिसे विशिष्ट तौर पर पूंजी निवेश अनुमोदन में पारेषण परियोजना के विस्तार क्षेत्र के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है, जैसे कि पारेषण तन्तुपथ (transmission lines), तन्तुपथ बे (line bays) तथा तन्तुपथ प्रतिघातक (line reactors), उपकेन्द्र (substations), बे (bays), क्षतिपूर्ति उपकरण (compensation device), अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (interconnecting transformers) को सम्मिलित करते हुए;

(20) **''विद्यमान परियोजना (Existing Project)''** से अभिप्रेत है कोई परियोजना, जिसे दिनांक 1.4.2024 से पूर्व किसी तिथि को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अन्तर्गत घोषित किया जा चुका हो;

(21) **''विस्तार परियोजना (Expansion Project)''** में नवीन क्षमता में किसी परिवर्धन (addition) या फिर विद्यमान पारेषण प्रणाली में किसी आवर्धन (augmentation) को सम्मिलित किया जाएगा;

(22) **''किया गया व्यय (Expenditure Incurred)''** से अभिप्रेत है कोई निधि (fund), भले ही वह पूंजी (equity) अथवा ऋण (debt) हो या फिर दोनों हों, जिस हेतु उपयोगी (cash equivalent) परिसम्पत्तियों के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु, वास्तविक रुप से रोकड़ (cash) अथवा रोकड़ समतुल्य भुगतान किया गया है तथा इनमें वे वचनबद्धताएं अथवा देयताएं शामिल न होंगी, जिन हेतु कोई भुगतान जारी न किया गया हो;

(23) **''विस्तारित जीवनकाल (Extended Life)''** से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी घटक के उपयोगी जीवनकाल के बाद का जीवनकाल जैसा कि आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसके गुण–दोष के आधार पर अवधारित किया जाए;

(24) **''विशेष आकस्मिक परिस्थिति (Force Majeure)''** इन विनियमों के प्रयोजन के लिए किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य घटनाओं या परिस्थितियों अथवा घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई परिस्थितियां तथा घटनाएं शामिल हैं जो विद्युत् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतया किसी परियोजना को पूंजी निवेश अनुमोदन में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर पूर्ण करने में बाधित करती हों तथा यह भी कि ऐसी परिस्थितियां तथा घटनाएं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न हों तथा इन्हें टाला भी न जा सकता हो, भले ही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या फिर उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता संव्यवहारों को अपनाया गया हो :

क. दैवी–घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्भेद, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों; अथवा

ख. युद्ध की कोई घटना, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्रवाई, नाकाबन्दी, नौका–अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह या कोई सैनिक कार्रवाई; अथवा

ग. व्यापक औद्योगिक हड़तालों तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में व्यापक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो; अथवा

घ. परियोजना हेतु सांविधिक अनुमोदन में विलंब, केवल उन्हें छोड़कर जहां विलम्ब के लिए परियोजना विकासक उत्तरदायी हो;

(25) **''ग्रिड संहिता (Grid Code)''** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण–तृतीय), 2024 जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए या फिर इसमें किये जाने वाले अनुवर्ती पुनः अधिनियमन;

(26) **''कार्यान्वयन अनुबन्ध (Implementation Agreement)''** से अभिप्रेत है कोई अनुबन्ध अथवा प्रसंविदा (convenant) जिसे किसी परियोजना के निष्पादन हेतु समन्वित रीति से (एक) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा विद्युत उत्पादन कम्पनी अथवा (दो) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्तर्संयोजित प्रणाली के पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा विकासक के मध्य पारेषण परियोजनाओं के सम्पादन हेतु, परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम निर्धारित करने तथा परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु निष्पादित किया जाए;

(27) **''भारत शासन माध्यम (Indian Governmental Instrumentalty)''** से अभिप्रेत है भारत सरकार, राज्य सरकार तथा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग या मण्डल (Board) या अभिकरण (Agency) या फिर अर्ध–न्यायिक कल्प (Quasi-judicial authority) जिसे भारत में सुसंबद्ध संविधियों के अधीन गठित किया गया हो;

(28) **''पूंजी–निवेश अनुमोदन (Investment Approval)''** से अभिप्रेत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संचालक मण्डल या राज्य शासन या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के सम्प्रेषण से है जिसमें परियोजना हेतु निधीयन (funding) तथा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय–सीमा भी शामिल है:

परन्तु यह कि पूंजी निवेश अनुमोदन की तिथि की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के संचालक मण्डल के संकल्प जारी होने की तिथि से की जाएगी, जहां संचालक मण्डल ऐसा अनुमोदन करने हेतु सक्षम है तथा अन्य प्रकरणों में यह सक्षम अधिकारी के स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से होगी;

(29) **''किलोवाट ऑवर (Kilowatt-Hour or kWh)''** से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा की इकाई (यूनिट) जिसका मापन एक घंटे की अवधि के दौरान विद्युत के एक किलोवाट अथवा एक हजार वाट के मापन द्वारा उत्पादन या खपत के रूप में किया जाता है;

(30) **''दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता (Long-Term Transmission Customer)''** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से पांच वर्ष से अधिक की अवधि का दीर्घ–अवधि पारेषण सेवा अनुबन्ध है, जिनमें राज्यान्तरिक/अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पारेषण प्रभारों के भुगतान द्वारा माना गया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी शामिल है तथा इस पारिभाषिक शब्द का उपयोग नामोद्दिष्ट अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली क्रेताओं (Designated ISTS Customers) के लिए भी अदल–बदल कर किया जा सकता है;

(31) **''मध्यम–अवधि पारेषण क्रेता (Medium-Term Transmission Customer)''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में, तीन माह से अधिक तथा पांच वर्ष तक की अवधि का धारणाधिकार रखता हो;

(32) **"नवीन परियोजना (New Project)"** से अभिप्रेत है पारेषण प्रणाली या उसका कोई घटक (element) जिसके द्वारा दिनांक 1.4.2024 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है;

(33) **"अधिकारी (Officer)"** से अभिप्रेत है, आयोग का कोई अधिकारी ;

(34) **"प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses or O&M Expenses)"** से अभिप्रेत है परियोजना या उसके किसी भाग के प्रचालन तथा संधारण पर किये गये कोई व्यय तथा इनमें सम्मिलित होंगे जनशक्ति (manpower), संधारण, मरम्मत तथा अनुरक्षण कल–पुर्जे (repairs and maintenance spares) और प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (administrative and general expenses);

(35) **"मूल परियोजना लागत (Original Project Cost)"** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक्कृत दिनांक तक परियोजना के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किया गया पूंजीगत व्यय जैसा कि आयोग द्वाराइसे स्वीकार किया गया हो;

(36) **"परियोजना (Project)"** से अभिप्रेत है कोई पारेषण प्रणाली जिसमें संचार प्रणाली (communication system) भी शामिल है;

(37) **"युक्तियुक्त होने संबंधी परीक्षण (Prudence Check)"** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमों के अनुसार यथास्थिति किये गये पूंजीगत व्यय अथवा प्रस्तावित किए जाने वाले व्यय के युक्तियुक्त होने संबंधी जांच–पड़ताल (परीक्षण) ;

(38) **"त्रैमास (Quarter)"** से अभिप्रेत है किसी विद्यमान परियोजना के प्रकरण में तीन माह की अवधि जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर तथा जनवरी के प्रथम दिवस को प्रारंभ होगी तथा किसी नवीन परियोजना के प्रकरण में प्रथम त्रैमास के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की प्रारंभिक तिथि से यथास्थिति माह जून, सितम्बर, दिसम्बर अथवा मार्च माह की अन्तिम तिथि होगी ;

(39) **"निर्धारित वोल्टेज (Rated Voltage)"** से अभिप्रेत है विनिर्माता का रूपांकन वोल्टेज (manufacturer's design voltage) जिस पर पारेषण प्रणाली परिचालन हेतु रूपांकित की गई है तथा इनमें सम्मिलित है ऐसी निम्न वोल्टेज (lower voltage) जिस पर पारेषण तन्तुपथ (लाइन) को आवेशित (charged) किया गया हो, या फिर जिसे तत्समय दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से परामर्श द्वारा आवेशित (charged) किया जा रहा हो ;

(40) **"ब्याज की सदंर्भ दर (Reference Rate of Interest)"** से अभिप्रेत है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एकल–वर्षीय निधि आधारित ऋण प्रदाय दर की उपान्तिक लागत (Marginal Cost of funds based Lending Rate-MCLR) तथा 325 आधार बिन्दुओं (basis points) का योग;

(41) **"नियमित सेवा (Regular Service)"** से अभिप्रेत है किसी पारेषण प्रणाली या उसके किसी घटक के, सफल परीक्षण परिचालन (successfull trial operation) पश्चात् राज्य भार प्रेषण

केन्द्र द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के पश्चात् उपयोग हेतु उसे संचालित करना;

(42) **''अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Scheduled Commercial Operation Date or 'SCOD)''** से अभिप्रेत है किसी विद्युत् पारेषण प्रणाली अथवा उसके किसी घटक (element) तथा संबद्ध संचार प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि(यां), जैसा कि इसके बारे में पूंजी–निवेश अनुमोदन में दर्शाया गया हो या फिर विद्युत् पारेषण सेवा अनुबंध (transmission service agreement) में सहमति व्यक्तकी गई हो, इनमें से जो भी पूर्व में घटित हो;

(43) **''सचिव (Secretary)''** से अभिप्रेत है आयोग का सचिव;

(44) **''लघु–अवधि पारेषण क्रेता (Short-Term Transmission Customer)''** से किसी पारेषण प्रणाली के उपयोग के संदर्भ में अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, जो पारेषण प्रभारों के भुगतान के आधार पर अन्तर्राज्यीय/राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के संबंध में तीन माह तक की लघु–अवधि हेतु धारणाधिकार रखता हो;

(45) **''प्रारंभ तिथि या शून्य तिथि (Start Date or Zero Date)''** से अभिप्रेत परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारंभ हेतु पूंजी–निवेश अनुमोदन में दर्शाई गई तिथि से है, तथा जहां कोई भी तिथि दर्शाई न गई हो वहां पूंजी–निवेश अनुमोदन की तिथि को प्रारंभ तिथि (Start date) या शून्य तिथि (Zero date) माना जाएगा;

(46) **''विद्युत्–दर (Tariff)''** से अभिप्रेत है विद्युत् के पारेषण हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ–साथ उसकी निबंधन एवं शर्तें;

(47) **''विद्युत–दर अवधि (Tariff Period)''** से अभिप्रेत है इन विनियमों के अधीन वह अवधि जिस हेतु आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण किया जाता है;

(48) **''पारेषण तन्तुपथ या लाइन (Transmission Line)''** का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 की उपधारा(72) में उसके लिए परिभाषित किया गया है;

(49) **''पारेषण सेवा अनुबन्ध (Transmission Service Agreement)''** से अभिप्रेत है पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घ–अवधि/मध्यम–अवधि क्रेता(ओं) के मध्य निष्पादित अनुबन्ध तथा इसमें थोक विद्युत पारेषण अनुबन्ध (Bulk Power Transmission Agreement) को भी सम्मिलित किया जाएगा ;

(50) **''पारेषण प्रणाली (Transmission System)''** से अभिप्रेत है संबद्ध पूंजी निवेश अनुमोदन(ों) के अनुसार योजना के अन्तर्गत चिन्हांकित उप–केन्द्र, पारेषण तन्तुपथों तथा उपकेन्द्रों से संबद्ध उपकरण सहित या उसके बगैर भी तन्तुपथों (लाइनों) अथवा तन्तुपथों (लाइनों) का समूह तथा इसमें संबद्ध संचार प्रणाली (communication system) भी सम्मिलित होगी ;

(51) **''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee)''** से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसे

पारेषण तन्तुपथों (transmission lines) को स्थापित करने अथवा उसका परिचालन करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो ;

(52) **''पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (Transmission System Availability Factor)''** से अभिप्रेत है राज्य भार पारेषण केन्द्र द्वारा यथाप्रमाणित पारेषण प्रणाली की उपलब्धता ;

(53) **''परिचालन परीक्षण या निष्पादन परीक्षण (Trial Run or Trial Operation)''** का पारेषण प्रणाली के संबंध में वही अर्थ होगा जैसा कि इसे मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, 2024 में निर्दिष्ट किया गया है ;

(54) **''उपयोगी जीवनकाल (Useful Life)''** से किसी पारेषण प्रणाली के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से निम्नानुसार अभिप्रेत होगा, अर्थात् :

(एक)	प्रत्यावर्ती विद्युत् धारा तथा दिष्ट विद्युत् धारा उपकेन्द्र (AC and DC Sub Station)	25 वर्ष
(दो)	गैस–रोधी उपकेन्द्र (Gas Insulated Substation-GIS)	25 वर्ष
(तीन)	पारेषण तन्तु पथ (उच्च वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा को सम्मिलित करते हुए {Transmission Line (including HVAC)}	35 वर्ष
(चार)	ऑप्टिकल ग्राऊंड वायर (Optical Ground Wire-OPGW)	15 वर्ष
(पांच)	सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (IT System),स्काडा (SCADA) तथा संचार प्रणाली 'OPGW'को छोड़कर (CommunicationSystem, excluding OPGW)	7 वर्ष

परन्तु यह कि परियोजनाओं के उपयोगी जीवनकाल के पश्चात् उसमेंकिसी वृद्धि के बारे में आयोग द्वारा प्रकरण–दर–प्रकरण उसके गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ; और

(55) **''वर्ष (Year)''**से अभिप्रेत है दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष :

परन्तु यह कि नवीन परियोजना के प्रकरण में वर्ष वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (date of commercial operation) से प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा।

(4.2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में प्रयुक्त किये गये हैं तथा परिभाषित नहीं किए गए हैं, परन्तु अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किए गए हों, वही अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम या आयोग के किसी अन्य विनियम में उनके लिए निरूपित किये गए हैं।

अध्याय–दो

वाणिज्यिक प्रचालन (Commercial Operation)

5. वाणिज्यिक प्रचालन (Commercial Operation) :

ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निष्पादित पारेषण प्रणाली या उसका कोई घटक वाणिज्यिक प्रचालन हेतु तैयार हो परन्तु अन्तर्संयोजित विद्युत उत्पादन केन्द्र या फिर अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली सम्मत परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन हेतु तैयार न हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके घटकहेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुमोदन हेतु याचिका दाखिल कर सकेगा :

परन्तु यह कि इस खण्ड के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रचालन तिथि का अनुमोदन प्राप्त करने का इच्छुक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यथास्थिति विद्युत उत्पादन कम्पनी या अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि क्रेताओं (customers) को न्यूनतम एक माह की पूर्व सूचना (नोटिस) वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बारे में प्रस्तुत करेगा :

परन्तु आगे यह और कि इस खण्ड के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने के इच्छुक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अपनी याचिका के साथ निम्न प्रलेख (documents) भी प्रस्तुत करने होंगे :

(क) संबद्ध प्राधिकारी / विद्युत निरीक्षक द्वारा जारी विद्युतीकरण प्रमाण–पत्र (Energisation certificate) ;

(ख) विद्युत भार के साथ या उसके बगैर आवेषण घटक (charging element) हेतु संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किया गया परिचालन परीक्षण प्रमाण–पत्र (Trial Operation Certificate) ;

(ग) पक्षों द्वारा निष्पादित कार्यान्वयन अनुबन्ध, यदि कोई हो ;

(घ) विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा पारेषण प्रणालियों की प्रगति के अनुश्रवण (monitoring) के संबंध में समन्वयन बैठकों (coordination meetings) का कार्यवाही विवरण तथा संबंधित पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां जिसमें आकस्मिक विशेष परिस्थितियां (force majeure conditions), यदि कोई हो, के कारण विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा पारेषण प्रणाली की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) को बढाने से संबंधित विवरण भी शामिल कर सकेंगे;

(ङ) इस खण्ड के अन्तर्गत प्रथम परन्तुक के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी की गई सूचना तथा उसका प्रत्युत्तर ; तथा

(च) पारेषण प्रणाली को पूर्ण किये जाने के बारे में, समस्त प्रकार से संबद्ध संचार प्रणाली को सम्मिलित करते हुए, कम्पनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अथवा प्रबन्ध संचालक (MD) अथवा अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालक (CMD) द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

6. वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बेमेल होने पर उपचार की क्रियाविधि (Treatment of Mismatchin date of Commercial Operation) :

(एक) विद्युत उत्पादन केन्द्र तथा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (Date of Commercial Operation) के बेमेल (mismatch) होने पर पारेषण प्रभारों की देयता का अवधारण निम्न क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा :

(क) जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र द्वारा संबद्ध पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में {जो विद्युत उत्पादन केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) से पूर्व होगी} वाणिज्यिक प्रचालन (commercial operation) की प्राप्ति न की गई हो तथा आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 5 के अनुसार ऐसी पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि को अनुमोदित किया जा चुका हो, वहां जब तक विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त न किया जाए, विद्युत उत्पादन कम्पनी का संबद्ध पारेषण प्रणाली के पारेषण प्रभारों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व होगा।

(ख) जहां संबद्ध पारेषण प्रणाली द्वारा संबंधित विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में {जो पारेषण प्रणाली की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) से पूर्व न होगी} वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की प्राप्ति न की गई हो वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत उत्पादन केन्द्र से विद्युत के निष्क्रमण (evacuation) हेतु स्वयं के व्यय पर वैकल्पिक कार्यवाही की जाएगी अन्यथा जब तक पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की प्राप्ति न कर ली जाए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत उत्पादन कम्पनी को पारेषण प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(दो) पारेषण प्रणाली तथा अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के बेमेल होने की दशा में पारेषण प्रभारों की देयता का अवधारण निम्नानुसार किया जाएगा :

(क) जहां अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अन्तर्संयोजित पारेषण प्रणाली द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में वाणिज्यिक प्रचालन की प्राप्ति

न कर ली जाए {जो अन्तर्संयोजित प्रणाली की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) से पूर्व न होगी} तथा आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 5 के खण्ड (2) के अनुसार ऐसी पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि का अनुमोदन किया जा चुका हो वहां जब तक अन्तर्संयोजित पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त न कर लिया जाएपारेषण प्रणाली के पारेषण प्रभारों के भुगतान का दायित्व अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा।

(ख) जहां पारेषण प्रणाली द्वारा अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अन्य अन्तर्संयोजित प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में {जो पारेषण प्रणाली की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) से पूर्व न होगी) वहां जब तक पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त न कर लिया जाए ऐसी अन्तर्संयोजित प्रणाली के पारेषण प्रभारों के भुगतान का दायित्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का होगा जैसा कि इसका अवधारण आयोग द्वारा किया जाए।

अध्याय – तीन

विद्युत–दर अवधारण की प्रक्रिया (Procedure for Tariff Determination)

7. विद्युत–दर अवधारण (Tariff Determination) :

(7.1) किसी पारेषण प्रणाली के बारे में विद्युत–दर का अवधारण सम्पूर्ण विद्युत पारेषण प्रणाली या उसके किसी घटक या फिर संबद्ध संचार प्रणाली हेतु किया जाएगा :

परंतु यह कि :

एक. दिनांक 01.04.2024 से पूर्व पारेषण प्रणाली के समस्त घटकों के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समयावधि 01.04.2024 से 31.3.2029 हेतु विद्युत–दर के अवधारण के प्रयोजन हेतु सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली के बारे में समेकित बहुवर्षीय टैरिफ याचिका (Consolidated Multi-Year Petion) दाखिल करेगा :

दो. दिनांक 01.04.2024 को या तत्पश्चात् पारेषण प्रणाली के घटकों के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एक समेकित बहुवर्षीय टैरिफ याचिका प्रक्रिया विनियमों के उपबन्धों के अनुसार पारेषण प्रणाली के समस्त घटकों को समेकित करते हुए दाखिल करेगा।

(7.2) आयोग, निम्नलिखित मामलों में अधिनियम की धारा 86 तथा धारा 36 सहपठित धारा 62 के अधीन, विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा प्रभारों का निर्धारण करेगा, जिसमें उसकी निबंधन व शर्ते सम्मिलित होंगी, अर्थात् :–

(एक) राज्यान्तरिक विद्युत् पारेषण संबंधी (Intra-State Transmission of Electricity) ; तथा

(दो) अन्तर्वर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोगार्थ दरें एवं प्रभार, जिन पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परस्पर समझौता न किया जा सकता हो।

(7.3) विद्युत के अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु, जहां दो राज्यों के क्षेत्र सन्निहित हों, विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण भी आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 64(5) के अधीन अवधारित किया जा सकेगा।

8. विद्युत–दर अवधारण के सिद्धान्त (Principles of Tariff Determination) :

(8.1) इन विनियमों का प्रयोजन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सुस्थिर वाणिज्यिक सिद्धान्तों (Sound Commercial Principles) पर प्रचालन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना है। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उनके लेखांकन विवरण–पत्र, कंपनी कानून की आवश्यकता के अनुसार तैयार करने होंगे जो उसे आयोग को विनियम 11.1 में दिये गये विवरणानुसार नियमित रूप से प्रस्तुत करने होंगे। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञेय किया गया प्रोत्साहन, आयोग द्वारा निर्धारित किये गये परिचालन मानदण्डों के विनिर्दिष्ट स्तरों से तत्संबंधी निष्पादन पर निर्भर करेगा। परिसम्पत्ति आधार (asset base) में सम्मिलित किये जाने हेतु केवल युक्तियुक्त पूंजीगत व्यय (prudent capital expenditure) को ही विचार में लिया जाएगा।

(8.2) इन विनियमों में अपनाये गये बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों (Multi Year Tariff Principles) का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वाणिज्यिक सिद्धान्तों को अपनाया जाना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दक्ष कार्यप्रणाली का निष्पादन तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के हितों को संरक्षण प्रदान करना है। टैरिफ अवधि हेतु, प्रचालन तथा लागत मानदण्ड, पूर्व अवधि में किये गये निष्पादनों के आधार पर विनिर्दिष्ट किये गये हैं। स्वीकार्य विद्युत्–दरों (टैरिफ) का अवधारण इन मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारीको इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से बेहतर प्रदर्शन दर्शाये जाने पर बचत का एक भाग प्रतिलाभ (reward) के रूप में स्वयं के पास रखने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से दक्ष निष्पादन तथा संसाधनों के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

(8.3) केवल ऐसे पूंजी–निवेश (investments) तथा पूंजीगत व्यय (capital expenditure), जो इस संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप होंगे, ही विद्युत्–दर (टैरिफ) के माध्यम से वसूली किये जाने केलिए अनुज्ञेय किये जाएंगे। इससे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त पूंजी–निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

9. विद्युत्–दर अवधारण हेतु आवेदन (Application for Determination of Tariff):

(9.1) विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु आवेदन–पत्र इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसके साथ ऐसी फीस (शुल्क) संलग्न की जाएगी जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए।

(9.2) आयोग को सदैव या तो स्वप्रेरणा (Suo-Motu) पर अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी स्वविवेक याचिका द्वारा अथवा किसी अभिरूचि रखने वाले या प्रभावित पक्षकार द्वारा दायर याचिका पर विद्युत्–दर (टैरिफ) तथा उसके निबन्धन तथा शर्तों के अवधारण का अधिकार होगा तथा उसके द्वारा ऐसा अवधारण ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट की जाए ;

परन्तु यह कि ऐसे विद्युत्–दर (टैरिफ) के साथ उससे संबंधित निबंधन तथा शर्तों के अवधारण संबंधी कार्यवाही को समय–समय पर यथासंशोधित 'कारबार का संचालन' विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार संचालित किया जाएगा।

(9.3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को आवेदन के एक भाग के रूप में ऐसे प्ररूपों में, जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं, हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियों में जानकारी प्रस्तुत करेगा।

(9.4) आयोग अथवा सचिव अथवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आवेदन के सूक्ष्म परीक्षण पश्चात् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को कतिपय अतिरिक्त जानकारी अथवा विवरण अथवा प्रलेख जो आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किये जाने के प्रयोजन से अनिवार्य समझे जाएं, प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा सकेगा।

(9.5) समस्त वांछित जानकारी, विवरण एवं प्रलेख (documents) जो समस्त आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु आवश्यक हों, के सम्पूर्ण आवेदन के साथ प्राप्त होने की दशा में ही आवेदन को प्राप्त किया गया माना जाएगा तथा आयोग अथवा सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारी आवेदन को संक्षिप्त रूप में एवं ऐसी रीति में, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यह सूचित करेंगे कि आवेदन प्रकाशन हेतु तैयार है, {कृपया देखें, समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004}। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रस्तुत की गई अपनी याचिका के समस्त विवरण आयोग द्वारा उसे स्वीकार किये जाने की तिथि से सात कार्यकारी दिवस के भीतर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने होंगे।

(9.6) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को ऐसी समस्त पुस्तकें (books) तथा अभिलेख (records) (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियां) के साथ लेखांकन विवरण–पत्र (Accounting Statements), परिचालन तथा लागत आंकड़े (operational and cost data) जैसा कि वे आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु चाहे जाएं, प्रस्तुत करेगा।

(9.7) आयोग, यदि उचित समझे, तो वह किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग को प्रस्तुत की है, मय ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों की संक्षेपिका (abstracts) के (अथवा उनकी प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियों के) उपलब्ध करा सकेगा :

परन्तु आयोग आदेश जारी कर, यह निर्देशित कर सकेगा कि आयोग द्वारा संधारित की जाने वाली ऐसी जानकारी, प्रलेख व पत्र/सामग्रियां गोपनीय अथवा विशेषाधिकार से युक्त होंगी जो निरीक्षण हेतु अथवा प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी तथा आयोग यह भी निर्देशित कर सकेगा कि ऐसे प्रलेख, पत्र अथवा सामग्री को किसी ऐसी रीति द्वारा उपयोग न किया जा सकेगा, सिवाय उसके, जैसा कि आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से इस हेतु प्राधिकृत किया जाए।

(9.8) यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी इन विनियमों की आवश्कताओं के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से अपर्याप्त हो, तो आयोग द्वारा जैसा कि आयोग के पदाधिकारियों द्वारा पाई गई कमियों में सुधार किये जाने बाबत् निर्दिष्ट किया गया हो, आवेदन को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को एक माह के भीतर पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटा दिया जाएगा।

(9.9) यदि याचिका में प्रस्तुत की गई जानकारी विनियमों के अनुसार हो तथा दावों के युक्तियुक्त परीक्षण हेतु पर्याप्त हो तो आयोग प्रतिवादियों से तथा अन्य कोई व्यक्ति, उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता संघो को शामिल करते हुए, याचिका दायर करने की तिथि से एक माह (अथवा आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई कोई समयावधि) के भीतर प्राप्त किए गए सुझावों तथा आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगा। आयोग याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों तथा किसी अन्य व्यक्ति से, जिसे आयोग द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति प्रदान की गई हो, की सुनवाई के बाद विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेश जारी करेगा।

10. विद्युत्–दर अवधारण की क्रियाविधि तथा उसका सत्यापन (Methodology for Determination of Tariff and True-up) :

(10.1) आयोग, समय–समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधियों का निर्धारण करेगा। विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के सिद्धान्त टैरिफ अवधि के दौरान ही लागू होंगे। इन विनियमों के अन्तर्गत, विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण के मार्गदर्शी सिद्धान्त आगामी विद्युत्–दर(टैरिफ) दिनांक एक अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक की अवधि हेतु वैध रहेंगे।

(10.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) का अवधारण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र पारेषण प्रणाली हेतु किया जाएगा।

(10.3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ अवधि के आरंभ में एक याचिका दाखिल की जाएगी। आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) का सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन, जिस हेतु यह अनुरोध किया जा रहा हो, के दौरान समीक्षा पूंजीगत व्यय तथा वास्तविक रूप से किये गये अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधारपर की जाएगी। तथापि, इस प्रकार के सत्यापन में किसी प्रकार के असामान्य (abnormal) तथा अनियंत्रणीय विषमता/अन्तर (Uncontrollable Variation) पर आयोग द्वारा अपने स्वविवेक अनुसार विचार किया जा सकेगा।

(10.4) आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत्–दर (टैरिफ) का सत्यापन निम्न नियन्त्रणीय तथा अनियन्त्रणीय कारकों (controllable and uncontrollable factors) के निष्पादन के आधार पर किया जाएगा :

क. नियन्त्रीय कारकों (controllable factors) में निम्न कारक सम्मिलित होंगे जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे :

(एक) परियोजना के क्रियान्वयन में दक्षता जहां ऐसी परियोजना के विस्तार क्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, सांविधिक उद्ग्रहण (statutory levies) अथवा कानून में परिवर्तन (change in law) अथवा आकस्मिक विशेष परिस्थितियां (force majeure events) सन्निहित न हों ; और

(दो) जहां परियोजना के निष्पादन में विलंब के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के ठेकेदार, सामग्री प्रदायक (Supplier) या अभिकरण उत्तरदायी हों।

ख. अनियन्त्रीय कारकों (uncontrolllable factors) में निम्न कारक सम्मिलित होंगे जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होंगे :

(एक) आकस्मिक विशेष घटनाएं (Force Majeure) ;

(दो) कानून में परिवर्तन (change in law); और

(तीन) भूमि के अधिग्रहण के कारण समय तथा लागत लंघन (Time and cost over-run), केवल उन्हें छोड़कर जहां विलम्ब के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हो।

(10.5) नियन्त्रीय मानदण्डों के कारण समय तथा लागत–आधिक्य (Time and Cost over-run) पर आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के प्श्चात विचार किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) तक विद्युत उत्पादन केन्द्र अथवा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के अक्रियाशील होने के कारण समय में वृद्धि अथवा मूल्य में वृद्धि के संबंध में किसी भी अतिरिक्त प्रभाव को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी वसूली विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित किये गये क्रियान्वयन अनुबंध के माध्यम से की जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि यदि पारेषण प्रणाली को विद्युत उत्पादन केन्द्र की अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) को क्रियाशील नहीं किया जाता हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत उत्पादन केन्द्र पर स्वयं की व्यवस्था के माध्यम से तथा लागत पर निष्क्रमण की तब तक व्यवस्था करेगा जब तक सम्बद्ध पारेषण प्रणाली को क्रियाशील न कर दिया जाए।

(10.6) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियंत्रणीय मानदण्डों के कारण होने वाले किसी वित्तीय लाभ का बंटवारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घ–अवधि क्रेताओं के मध्य क्रमशः 50:50 के अनुपात में मासिक आधारपर वार्षिक मिलान (annual reconciliation) के समय किया जाएगा।

(10.7) अनियंत्रणीय मानदण्डों के कारण वित्तीय लाभों तथा हानियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं को अन्तरित कर दिया जाएगा।

(10.8) यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) सत्यापन पश्चात् अवधारित की गई विद्युत्–दर से अधिक हो तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने दीर्घ–अवधि क्रेताओं को इस प्रकार वसूल की गई अधिक राशि का प्रत्यर्पण (रिफंड) इन विनियमों के विनियम 10.10 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार करेगा।

(10.9) यदि पूर्व में वसूल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) सत्यापन पश्चात् अवधारित की गई विद्युत्–दर से कम होतो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से आयोग द्वारा सत्यापन याचिका को दाखिल किए जाने संबंधी निर्धारित की गई समय–सीमाओं का परिपालन करते हुए कम वसूल की गई राशि (under recovery) की वसूली इन विनियमों के विनियम 10.10 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार करेगा। ऐसे प्रकरण में जहां यह पाया जाए कि सत्यापन याचिका दायर किए जाने में विलंब के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी है, वहां कम वसूल की गई राशि पर ब्याज देय न होगा। तथापि, यदि सत्यापन याचिका को दाखिल करने में युक्तिसंगत विलंब संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर आयोग द्वारा विचार किया जाता है तो कम वसूल की गई राशि के बारे में, जैसा कि इसे इन विनियमों के विनियम 10.10 में विनिर्दिष्ट किया गया है, संबंधी प्रावधान लागू होगा।

(10.10) विद्युत् उत्पादन कम्पनी द्वारा कम वसूल की गई राशि अथवा अधिक वसूल की गई राशि को मय साधारण ब्याज के तत्संबंधी वर्ष की प्रथम अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की एकल–वर्षीय ऋण प्रदाय की निधि आधारित उपान्तिक लागत (Marginal Cost of Funds based Landing Rate-MCLR) तथा 100 आधार बिन्दुओं के योग के बराबर राशि की वसूली या प्रत्यर्पण आयोग द्वारा जारी किये गये विद्युत्–दर (टैरिफ) आदेश की तिथि से छः बराबर मासिक किस्तों में किया जाएगा।

(10.11) जहां प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत लागत, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर व्यय किये गये वास्तविक सत्यापित अतिरिक्त व्यय में बढ़त 10% से अधिक द्वारा हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों/लाभार्थियों या दीर्घ–अवधि क्रेताओं (customers) को यथास्थिति राशि का प्रत्यर्पण (रिफंड) करेगा, अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जिसे उपगत न किया गया हो से सुसंबद्ध विद्युत–दर की वसूली जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित की जाए, के बारे में वसूली 1.20 गुना साधारण ब्याज पर की जाएगी जिसकी गणना तत्संबंधी वर्ष की एक अप्रैल को प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की एकल–वर्षीय ऋण प्रदाय की निधि

आधारित उपान्तिक लागत (Marginal Cost of Funds based Landing Rate-MCLR) तथा 100 आधार बिन्दुओं के योग के आधार पर की जाएगी।

(10.12) बहुवर्षीय विद्युत्–दर (टैरिफ) याचिका की प्रस्तुति हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतिलिपि में समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 के अनुसार, विनिर्दिष्ट प्ररूपों में इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से 60 दिवस के भीतर की जाएगी।

(10.13) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हार्ड तथा सॉफ्ट प्रति में समय–समय पर यथासशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतानयोग्य फीस) विनियम, 2004 के अनुसार निर्दिष्ट प्ररूपों में प्रतिवर्ष दिनांक 15 नवम्बर तक सत्यापन अभ्यास के क्रियान्वयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

11. वार्षिक लेखे, प्रतिवेदनों, जानकारी, आदि का प्रस्तुतिकरण (Submission of Annual Accounts, Reports, Information, etc):

(11.1) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लेखों के वार्षिक विवरण–पत्र (Annual Statement of Accounts) तथा ऐसे अन्य प्रतिवेदन या जानकारी जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करने होंगे। वार्षिक लेखे (Annual Accounts) प्रस्तुत किये जाने केअतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित विभिन्न विनियमों तथा अनुज्ञप्ति शर्तो (License Conditions) की सूचना सम्बन्धी आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना होगा।

(11.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वाराअपेक्षित जानकारी की प्रस्तुति के अभाव में, आयोग स्व–प्रेरणा (Suo-Motu) द्वारा कार्यवाही की पहल कर सकेगा।

12. विद्युत्–दर अवधारण में अंतराल (Periodicity of Tariff Determination):

(12.1) किसी भी वित्तीय वर्ष में, विद्युत्–दर (टैरिफ) अथवा किसी भी विद्युत्–दर का कोई भी अंश सामान्यतः एक वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकेगा। आयोग, स्वयं द्वारा समाधान हो जाने पर, इस हेतु लिखित में कारणोंको अभिलिखित किये जाने के पश्चात् ही विद्युत्–दर में पुनरीक्षण (revision) की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

(12.2) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी वित्तीय वर्ष में वसूल किए जाने के लिए अनुज्ञेय व्ययों की प्रतिपूर्ति, किसी अनुवर्ती अवधि हेतु स्वीकृत अवधारित विद्युत्–दर (टैरिफ) में समायोजनों के अध्यधीन होगी, यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई भी राशि आधिक्य अथवा कमी जो उसके वास्तविक वसूल की गई राशि अथवा किये गये व्ययों से संबंधित है, का समायोजन अपरिहार्य है एवं वह किन्हीं विशिष्ट कारणों से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण में न होने के कारणवश है।

13. सुनवाइयां (Hearings) :

विद्युत्–दर (टैरिफ) आवेदन पर सुनवाई संबंधी प्रक्रिया, समय–समय पर यथासंशोधित मध्य प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी।

14. आयोग के आदेश (Orders of the Commission) :

(14.1) किसी याचिका के दाखिल किये जाने के पश्चात आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से किसी अतिरिक्त जानकारी, विवरण, प्रलेख, सार्वजनिक अभिलेख आदि, जैसा कि आयोग उचित समझे, की मांगकर सकेगा ताकि आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली गणनाओं (calculations), पूर्वानुमानों (assumptions) एवं अभिकथनों (assertions) की समीक्षा कर सके।

(14.2) जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, आयोग समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, के उपबंधों के अनुरूप समुचित आदेश जारी कर सकेगा।

15. अनुमोदित विद्युत्–दर से भिन्न दर प्रभारित करना (Charging of Tariff other than Approved) :

किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को, जिसे हितग्राहियों/लाभार्थियों से आयोग द्वारा अनुमोदित से भिन्न विद्युत्–दर (टैरिफ) प्रभारित करते हुए पाया जाएगा, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसके द्वारा आयोग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है, उसे अधिनियम की धारा 142 के अधीन तथा अधिनियम के अन्य कतिपय उपबंधों के अधीन भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय अन्य किसी दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दण्डित किये जाने की पात्रता होगी। जहां वसूल की गई राशि, आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि से अधिक हो तो इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को उन हितग्राहियों/लाभार्थियों को टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 के दौरान जिनके द्वारा अधिक राशि का भुगतान किया गया है, मय उक्त अवधि के साधारण ब्याज के साथ, जिसकी दर 01.04.2024 को या फिर तत्संबंधी वर्ष की एक अप्रैल की स्थिति में संदर्भ ब्याज दर (Reference rate of interest) होगी, मय आयोग द्वारा अधिरोपित की गई किसी अन्य किसी शास्ति के, प्रत्यर्पण की जाएगी।

16. **पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक समीक्षा (Annual Review of Transmission Licensee) :**
पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को उसके निष्पादन के वार्षिक विवरण–पत्र तथा लेखा के साथ–साथ अंकेक्षित लेखों के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

अध्याय – चार

विद्युत्–दर संरचना (Tariff Structure)

17. **विद्युत्–दर अवधारण हेतु याचिका (Petition for Determination of Tariff) :**

(17.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के अध्याय–तीन के उपबंधों के अनुपालन में ऐसे प्ररूपों में संलग्न कर, जैसा कि इन्हें समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण केलिये अनुज्ञप्तिधारी अथवा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति एवं इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004, में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अनुसार तथा आयोग द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये सिद्धान्तों के आधार पर विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण बावत एक याचिका दाखिल करेगा। ये सिद्धांत इन विनियमों के प्रवृत होने की तिथि अर्थात् एक अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 की अवधि तक कार्यान्वित किये जाएंगे।

(17.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों/लाभार्थियों अथवा दीर्घ–अवधि क्रेताओं को दिनांक 01.04.2024 से प्रारम्भ होने वाली अवधि से प्रावधिक तौर पर दिनांक 31.03.2024 को प्रयोज्य दर पर देयक प्रस्तुत किया जाना जारी रखेगा जब तक आयोग द्वारा इन विनियमों के अनुसार विद्युत्–दर (टैरिफ) का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परन्तु जहां प्रावधिक रूप से बिल की गई विद्युत्–दर (टैरिफ) आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत अनुमोदित अन्तिम विद्युत्–दर से अधिक अथवा कम हो तो यथास्थिति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों/लाभार्थियों अथवा पारेषण क्रेताओं से इस राशि का प्रत्यर्पण अथवा वसूली टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 हेतु दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अथवा उक्त वर्ष की एक अप्रैल को प्रयोज्य ब्याज की संदर्भ दर (Reference Rate of Interest) पर साधारण ब्याज सहित अन्तिम विद्युत–दर आदेश जारी होने की तिथि से छः माह के भीतर करेगा।

18. **पारेषण विद्युत–दर (Transmission Tariff) :**
राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु विद्युत के पारेषण हेतु विद्युत–दर में वार्षिक स्थाई लागत की वसूली हेतु इन विनियमों के विनियम 23 में विनिर्दिष्ट घटकों को सम्मिलित किया जाएगा।

19. **पूंजीगत लागत एवं पूंजीगत संरचना (Capital Cost and Capital Structure):**

(19.1) किसी परियोजना की पूंजीगत लागत में निम्न मदें सम्मिलित होंगी :

(क) कार्य के मूल प्रावधान के अनुसार किया गया व्यय अथवा वह जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया है, जिसमें निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (interest during construction) तथा वित्त–प्रबन्धन प्रभार (financing charges), निर्माण अवधि के दौरान ऋण पर विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (foreign exchange rate variation) के कारण कोई लाभ अथवा हानि, जो परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक, जैसा कि आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के उपरान्त स्वीकार किया गया हो तथा विद्युत–दर अवधारण का आधार बनेगा, इस प्रकार होगा –(एक) लगाई गई 70% निधि के बराबर, ऐसे मामलों में जहां वास्तविक पूंजी, लगाई गईनिधि से 30% अधिक हो, आधिक्य पूंजी को मानदण्डीय ऋण (normative loan) माना जाएगा, अथवा (दो) लगाई गई निधि के 30%से कम लगाई गई निधि के प्रकरण में, ऋण की वास्तविक राशि (actual equity) के बराबर।

(ख) निम्नलिखित उच्चतम मानदण्डों के अध्यधीन रहते हुए प्रारंभिक कल–पुर्जों की पूंजीकृत राशि (Capitalization Initial Spares) :–

(एक) पारेषण तन्तुपथ (Transmission Line)– 1.00%

(दो) पारेषण उपकेन्द्र (हरित क्षेत्र) {Transmission Sub-Station (Green Field)} –4.00%

(तीन) पारेषण उपकेन्द्र (भूरा क्षेत्र){Transmission Sub-Station (Brown Field)}–6.00%

(चार) श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति उपकरण (Series Compensation Devices)–4.00%

(पांच) गैस–रोधी उपकेन्द्र (Gas Insulated Sub-Station-GIS) – 5.00%

हरित क्षेत्र (Green Field) – 5.00%

भूरा क्षेत्र (Brown Field) – 7.00%

(छह) संचार प्रणाली (Communication System) –3.5%

(सात) स्थैतिक समकालिक क्षतिपूरक (Static Synchronous Compensator) –6.00%

परन्तु जहां कहीं विद्युत् उत्पादन केन्द्र द्वारा किसी पारेषण उपकरण (transmission equipment) को विद्युत् उत्पादन परियोजना के रूप में धारित किया गया हो, वहां ऐसे उपकरणों बाबत् प्रारंभिक कल–पुर्जों के लिए उच्चतम मानदण्ड इन विनियमों के अधीन पारेषण प्रणाली के लिए निर्दिष्ट उच्चतम मानदण्डों (Ceiling norms) के अनुसार होंगे।

(ग) विनियम 20 के अन्तर्गत अवधारित किया गया अतिरिक्त पूंजीगत व्यय :

परन्तु यह कि वे परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग हों, परन्तु उपयोग में न हों, को पूंजीगत लागत से पृथक् रखा जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पूर्व पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्तियों के उपयोग के माध्यम से अर्जित राजस्व (revenue earned), यदि कोई हो, को पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाएगा।

(19.2) आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात स्वीकृत की गई पूंजीगत लागत (capital cost) विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगी :

परन्तु यह कि आयोग द्वारा किसी वैयक्तिक पारेषण परियोजना के प्रकरण में, पूंजीगत लागत का युक्तियुक्त परीक्षण केन्द्रीय आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये गये मार्गदर्शी मानदण्डों (bench mark norms) पर आधारित किया जा सकेगा :

परन्तु आगे यह और कि जहां केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी मानदण्डों का अनुप्रयोग न किया जाता हो, वहां युक्तियुक्त परीक्षण में पूंजीगत व्यय (capital expenditure), वित्त–प्रबंधन योजना (financing plan), निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (interest during construction), दक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग (use of efficient technology), लागत–आधिक्य (cost over-run) तथा समय–आधिक्य (time over-run) और अन्य ऐसे विषय शामिल किये जाएंगे जैसा कि वे आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु उपयुक्त समझे जाएं:

परन्तु यह और भी कि जहां पारेषण सेवा अनुबंध (Transmission Service Agreement) में वास्तविक व्यय की किसी उच्चतम सीमा का प्रावधान हो, वहां आयोग द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अनुज्ञेय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत ऐसी उच्चतम सीमा पर विचार किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, आयोग द्वारा दिनांक 01.04.2024 के पूर्व स्वीकार की गई पूंजीगत लागत तथा विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रक्षेपित की गयी हो, वहां अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए, पूंजीगत लागत के अवधारण का आधार बनेगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसे प्रकरणों में जहां मानदण्डीय मापदण्ड (bench mark norms) निर्दिष्ट किये गये हों, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी मानदण्डीय मापदण्डों से पूंजीगत लागत में वृद्धि के संबंध में ऐसे मानदण्डीय मापदण्डों से अधिक लागत को अनुज्ञेय किये जाने बाबत, आयोग की संतुष्टि हेतु इसके कारण प्रस्तुत करेगा।

(19.3) आयोग द्वारा लागत अनुमानों (cost estimates) का सूक्ष्म परीक्षण पूंजीगत लागत, वित्त प्रबंध योजना, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज राशि, प्रौद्योगिकी के दक्ष प्रयोग तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के संबंध में इनके युक्तियुक्त होने के संबंध में किया जाएगा। आयोग इस संबंध में, जैसा कि वह आवश्यक समझे, विशेषज्ञ परामर्श(expert advice) भी प्राप्त कर सकेगा।

(19.4) पूंजी एवं ऋण के आनुपातिक अंशदान के संबंध में पूंजीगत लागत की पुनर्संरचना को विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि के दौरान अनुज्ञेय किया जा सकेगा बशर्ते ऐसी कार्यवाही

विद्युत्–दर को प्रतिकूल प्रभावित (adversely) न करे। इस प्रकार की गई किसी पुनर्संरचना द्वारा प्राप्त कतिपय लाभ को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–अवधि राज्यान्तरिक निर्बाध (खुली) पहुंच क्रेताओं (long term intra state open access Customers) को 1 : 1 के अनुपात में अन्तरित किया जाएगा।

(19.5) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (Interest During Construction-IDC) :

(एक) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज की संगणना ऋण से तत्संबंधी ऋण निधि (debt fund) के निषेचन (infusion) की तिथि से तथा वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (actual COD) तक निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता (prudent phasing) को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(दो) वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (IDC) की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इस प्रकार के विलंब हेतु विस्तृत औचित्य मय सहायक प्रलेखों के निधि की चरणबद्धता (phasing) को शामिल करते हुए प्रस्तुत करने होंगे :

परन्तु यह कि यदि विलंब के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 10 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों (uncontrollable factors) के कारण हो, तो निर्माण अवधि के दौरान ब्याज को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण (prudent check) पश्चात अनुज्ञेय किया जा सकेगाः

परन्तु आगे यह और कि वास्तविक ब्याज पर केवल निर्माण अवधि के दौरान ब्याज को वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से परे विलम्ब उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किया जा सकेगा जैसा कि यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण सेबाहर पाया जाए, जिसके बारे में निधि की युक्तियुक्त चरणबद्धता (prudent phasing of funds) को ध्यान में रखकर युक्तियुक्त परीक्षण पूर्व में कर लिया गया हो।

(19.6) निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय (Incidental Expenditure During Construction-IEDC) :

(एक) निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय की गणना शून्य तिथि (zero date) तथा वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक पूर्व–परिचालन व्ययों (pre-operative expenses) को ध्यान में रखकर की जाएगी :

परन्तु यह कि निर्माण अवधि के दौरान वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक की अवधि तक निक्षेप राशियों (deposits) अथवा अग्रिम राशियों (advances) पर ब्याज को या फिर अन्य प्राप्तियों के कारण अर्जित राजस्व (earned revenue) के बारे

में निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय में कमी किये जाने को ध्यान में रखा जाएगा।

(दो) अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (SCOD) प्राप्त करने में निर्माण अवधि के दौरान विलंब के कारण आनुषंगिक व्ययों की अतिरिक्त लागतों के प्रकरण में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी विलम्ब अवधि के दौरान तथा विलंब से तत्संबंधी परिनिर्धारित हानियां (liquidated damages) जिनकी वसूली की गई हो या फिर जिनकी वसूली की जाना प्रत्याशित हो, विस्तृत औचित्य दर्शाते हुए मय सहायक प्रलेखों के, आनुषंगिक व्यय के विवरणों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्तुत करने होंगेः

परन्तु यह कि यदि विलंब पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर आरोप्य न हो तथा ऐसा इन विनियमों के विनियम 10 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अनियंत्रणीय कारकों के कारण हो तो निर्माण अवधि के दौरान आनुषंगिक व्यय को यथोचित युक्तिसंगत परीक्षण के बाद अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

परन्तु आगे यह और कि जहां विलंब के लिये पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित कोई अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक उत्तरदायी हों वहां ऐसे अभिकरण (एजेन्सी) या ठेकेदार या सामग्री प्रदायक से परिनिर्धारित हानियों (liquidated damages) बाबत की गई वसूली को पूंजीगत लागत की संगणना हेतु लेखबद्ध किया जाएगा।

(तीन) जहां अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन (SCOD) तिथि के परे समयाधिक्य (time-over-run) यथोचित रूप से युक्तियुक्त होने के बाद अनुज्ञेय न हो वहां लागत में परिवर्तन के कारण समयाधिक्य से तत्संबंधी समय वृद्धि के कारण पूंजीगत लागत में वृद्धि को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के सामग्री प्रदायक या ठेकेदार के साथ सम्पन्न अनुबंधों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान के होते हुए भी पूंजीकरण से अपवर्जित (excluded) किया जा सकेगा।

20. अतिरिक्त पूंजीकरण तथा अपूंजीकरण (Additional Capitalization and De-Capitaliztion):

(20.1) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत, निम्न कारणों से वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात पृथक्कृत तिथि तक किया गया पूंजीगत व्यय (capital expenditure), अथवा जिसे व्यय किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, को आयोगद्वारा निम्न मदों के अन्तर्गत अपने विवेकानुसार युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए स्वीकार किया जा सकेगाः

(क) अनुन्मोचित देयताएं (undischarged liabilities) जिन्हें किसी भविष्यगामी तिथि को भुगतान किया जाना मान्य किया गया हो;

(ख) वे कार्य जिन्हें निष्पादन हेतु स्थगित रखा गया हो;

(ग) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के अनुपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के कतिपय आदेश अथवा डिक्री के परिपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु ;

(घ) कानून में परिवर्तन के कारण अथवा किसी विद्यमान कानून के अनुपालन में; तथा

(ङ) कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत विनियम 19.1(ख) के उपबन्धों के अध्यधीन प्रारंभिक पूंजीगत कल–पुर्जो की अधिप्राप्ति (Procurement of initial spares) हेतु :

परन्तु यह कि कार्य के मूल प्रावधानों के अन्तर्गत परिसम्पत्तिवार कार्यों/कार्यवार सम्मिलित किये गये कार्यों के विवरण मय, व्यय के प्राक्कलनों के, भविष्यगामी तिथि हेतु मान्यता प्राप्त देयताएं (liabilities) तथा निष्पादन हेतु स्थगित रखे गये कार्यों की सूची विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधारण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

(20.2) पृथक्कृत तिथि (cut-off date) के पश्चात् किया गया निम्न प्रकार का पूंजीगत व्यय (capital expenditure) अथवा जिसे किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, आयोग द्वारा युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, आयोग के स्वविवेक अनुसार अनुज्ञेय किया जा सकेगा :

(क) माध्यस्थम प्रकरण में पारित किसी अधिनिर्णय के अनुपालन में अथवा विधि के किसी न्यायालय के कतिपय आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन में दायित्वों के निर्वहन हेतु ;

(ख) कानून में किसी परिवर्तन के कारण अथवा किसी विद्यमान कानून के अनुपालन में;

(ग) रिले (relays), नियंत्रण (control) तथा उपकरण (instrumentation), कम्प्यूटर प्रणाली (computer system), विद्युत् तन्तुपथ संवाहक संसूचना (Power Line Carrier Communication), डीसी बैटरियां (DC Batteries), अप्रचलित प्रौद्योगिकी (Obsolesce of Technology) के कारण प्रतिस्थापन, दोष के स्तर (fault level) में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरण को बदला जाना, टॉवर सुदृढ़ीकरण (Tower Strengthning), संचार उपकरण (communication equipments), चीनी– मिट्टीरोधियों (porcelain insulators) को पॉलीमर रोधियों (polymer insulators) से बदला जाना, आकस्मिक पुनर्स्थापना प्रणाली (emergency restoration storation system), रोधियों की सफाई हेतु अधोसंरचना (insulator cleaning infrastructure), क्षतिग्रस्त उपकरणों की पुनर्स्थापना (replacement of damaged equipment) जो बीमा के अन्तर्गत न आता हो, अतिरिक्त व्यय जो पारेषण प्रणाली के सफल तथा दक्ष प्रचालन हेतु किया जाना अनिवार्य हो गया हो ;

(घ) संयंत्र की उच्चतर सुरक्षा तथा बचाव (higher security and safety) की आवश्यकता हेतु किए जाने संबंधी व्यय जैसा किराष्ट्रीय सुरक्षा/आन्तरिक सुरक्षा हेतु उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकरणों (Statutory Authorities) के समुचित शासकीय अभिकरणों द्वारा इसकी आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया हो या निर्देशित किया गया हो;

(ड.) किसी पृथक्कृत तिथि (Cut-off date) से पूर्व निष्पादित कार्यों के बारे में कोई देयता (liability), युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात् ऐसे किन्हीं अनुन्मोचित दायित्वों (undischarged liabilities) के विवरण, संवेष्टन (package) की कुल अनुमानित लागत, किसी भुगतान को रोकने के बारे में कारण दर्शाना तथा ऐसे भुगतानों को उन्मोचित करना (release), आदि ; तथा

(च) पृथक्कृत तिथि के पश्चात् आयोग द्वारा कार्यों के बारे में कोई देयता जो वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निर्वहन की सीमा के अन्तर्गत हो :

परन्तु यह कि कोई भी व्यय जिसका दावा नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (R&M) एवं प्रचालन एवं संधारण (O&M) व्ययों के अन्तर्गत मरम्मत तथा अनुरक्षण (repairs and maintenance) हेतु किया गया हो, का दावा इसविनियम के अन्तर्गत नहीं किया जा सकेगा।

(20.3) परियोजनाओं की पूंजीगत लागत (capital cost) में से निम्न मदों को या तो अपवर्जित (exclude) किया जाएगा या फिर हटा (removed) लिया जाएगा :

(क) ऐसी परिसम्पत्तियां जो परियोजना का भाग तो हैं परन्तु जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है जैसा कि इस बारे में विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका में घोषित किया जाए ;

(ख) एक परियोजना से अन्य परियोजना को अप्रचलन (obsolescence) अथवा स्थानान्तरण (shifting) के कारण या फिर प्रतिस्थापन (replacement) अथवा हटाये जाने (removal) के कारण भी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के पश्चात अपूंजीकृत परिसम्पत्ति (De-capitalizaed asset) :

परन्तु यह कि जब तक किसी परिसम्पत्ति का एक परियोजना से अन्य परियोजना को स्थानान्तरण स्थायी प्रकृति का न हो, तब तक संबंधित परिसम्पत्तियों का अपूंजीकरण (decapitlization) नहीं किया जाएगा ;

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी सांविधिक निकाय अथवा प्राधिकरण से परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान (grant) को, जिसमें अदायगी (repayment) के दायित्व को शामिल न किया गया हो, को ब्याज पर ऋण (interest on loan), पूंजी पर प्रतिलाभ (return on equity) तथा अवमूल्यन (depreciation) की

संगणना के प्रयोजन हेतु पूंजीगत लागत से अपवर्जित (excluded) रखा जाएगा।

(20.4) किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण के प्रकरण में, अपूंजीकरण की तिथि की स्थिति में, ऐसी परिसम्पत्ति की मूल लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets) तथा तत्संबंधी ऋण (loan) के साथ–साथ पूंजी (equity) को भी क्रमशः बकाया ऋण राशि (outstanding loan) तथा पूंजी की राशि में से उक्त वर्ष के दौरान जब ऐसा अपूंजीकरण (de-capitalization) घटित हो जिसके अन्तर्गत यथोचित तौर पर उक्त वर्ष को सम्यक रूप से विचार में लेते हुए जब इसका पूंजीकरण किया गया हो, घटाया जाएगा।

21. नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (Renovation and Modernization):

(21.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के उपयोगी जीवनकाल के विस्तार के प्रयोजन हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण पर होने वाले व्यय की पूर्ति के प्रयोजन से, आयोग के समक्ष एक आवेदन प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ, एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) प्रस्तुत करेगाजिसमें उसका सम्पूर्ण उद्देश्य (Complete Scope), औचित्य (Justification), लागत–लाभ विश्लेषण (Cost benefit analysis), किसी संदर्भ तिथि (reference date) से जीवनकाल की अनुमानित वृद्धि, वित्तीय समुच्चय (financial package), व्यय की चरणबद्धता (Phasing of expenditure), कार्य सम्पन्न करने संबंधी कार्यक्रम (Schedule of Completion), संदर्भ मूल्य स्तर (reference price level), कार्य पूर्ण करने संबंधी अनुमानित लागत (estimated completion cost) मय विदेशी मुद्रा घटक (foreign exchange element) के, यदि कोई हो, हितग्राहियों/लाभार्थियों का सहमति–पत्र तथा अन्य कोई जानकारी जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत माना जाए, संलग्न किया जाएगाः

परन्तु यह कि पारेषण प्रणाली जिस हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (R&M) का दायित्व वहन करने की इच्छा व्यक्त की गई हो, के लिये ऐसे नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु हितग्राहियों/लाभार्थियों की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तथा इसे याचिका के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(21.2) जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (R&M) के अनुमोदन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हो, ऐसे प्रकरण में प्रस्ताव का अनुमोदन लागत–प्राक्कलनों (cost estimates) के युक्तियुक्त होने, वित्तीय प्रबंध योजना (financing plan), कार्यपूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम (schedule of completion), निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (interest during construction), दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग (use of efficient technology), लागत–लाभ विश्लेषण (cost benefit analysis), तथा ऐसे अन्य कारक जो आयोग द्वारा सुसंगत समझे जाएं, पर यथोचित विचारोपरान्त किया जाएगा।

(21.3) नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (R&M) संबंधी कार्य पूर्ण होने पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत–दर के अवधारण हेतु एक याचिका दाखिल करेगा। किया गया कोई व्यय अथवा किये

जाने वाला कोई प्रक्षेपित व्यय, जैसा कि इसे आयोग द्वारा, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण संबंधी व्यय तथा जीवनकाल के विस्तार संबंधी प्राक्कलनों के युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात् तथा प्रतिस्थापित की गई परिसम्पत्तियों की मूल राशि के अपलेखन (writing off) पश्चात तथा मूल परियोजना लागत से संचित अवमूल्यन (accumulated depreciation) परन्तु अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम (advance against depreciaiton) को सम्मिलित करते हुए, को घटाकर स्वीकार किया गया हो, विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण का आधार बनेगा।

22. ऋण–पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio):

(22.1) ऐसी किसी परियोजना के संबंध में जिसे 1.4.2024 को या तत्पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, वहां ऋण–पूंजी अनुपात वाणिज्यिक प्रचालन तिथि की स्थिति में 70:30 माना जाएगा। यदि वास्तविक रूप से निवेश की गई पूंजी, पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो, वहां 30 प्रतिशत से अधिक पूंजी को मानदण्डीय ऋण (normative loan) माना जाएगा :

परन्तु यह कि :

(एक) जहां निवेश की गई पूंजी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से कम हो, वहां विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु वास्तविक पूंजी (actual equity) को ही मान्य किया जाएगा ;

(दो) विदेशी मुद्रा (foreign currency) में निवेश की गई पूंजी को प्रत्येक निवेश तिथि को भारतीय रूपयों में नामोद्दिष्ट किया जाएगा ; तथा

(तीन) ऋण : पूंजी अनुपात (debt-equity ratio) के प्रयोजन हेतु परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त किये गये किसी अनुदान को पूंजी संरचना (capital structure) का भाग नहीं माना जाएगा।

व्याख्या : अधिमूल्य (Premium) बाबत्, यदि कोई हो, जिसकी उगाही पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परियोजना के निधीयन हेतु की गयी हो, शेयर पूंजी जारी करते समय तथा आन्तरिक संसाधनों के निवेश हेतु जिसका सृजन मुक्त सुरक्षित निधि (free reserve) में से किया गया हो, को पूंजी पर प्रतिलाभ केवल उसी दशा में की गई संगणना हेतु प्राप्त की गई पूंजी के रूप में माना जाएगा यदि ऐसी अधिमूल्य राशि तथा आन्तरिक संसाधनों को विद्युत् पारेषण प्रणाली के पूंजीगत व्यय की पूर्ति हेतु वास्तविक रूप से उपयोग में लाया गया हो।

(22.2) ऐसे प्रकरण में जहां पारेषण प्रणाली, जिसमें संचार प्रणाली (Communication System) भी सम्मिलित है, को दिनांक 01.04.2024 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु अनुज्ञेय किये गये ऋण–पूंजी (debt equity) अनुपातपर विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

(22.3) ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण प्रणाली, जिसमें संचार प्रणाली भी सम्मिलित है, को दिनांक 01.04.2024 सेपूर्व वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया गया हो परन्तु जहां आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2024 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के लिए ऋण :पूंजी के अनुपात का निर्धारण न किया गया हो, वहां आयोग द्वारा ऋणः पूंजी अनुपात का अनुमोदन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराई गई वास्तविक जानकारी के आधार पर किया जाएगा।

(22.4) ऐसा कोई व्यय जो दिनांक 01.04.2024 को अथवा उसके उपरांत किया गया अथवा किया जाना प्रक्षेपित किया गया हो, जैसा कि आयोग द्वारा इसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु स्वीकार किया गया हो, ऐसे में जीवनकाल की वृद्धि (life extension) हेतु नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण व्यय को विनियम 22.1 में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार सेवाकृत (serviced) किया जाएगा।

अध्याय – पांच

पारेषण विद्युत–दर तथा वार्षिक स्थाई लागत की संगणना

(Transmission Tariff & Computation of Annual Fixed Cost)

23. वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost) :

कोई विद्युत पारेषण प्रणाली जिसमें उसकी संचार प्रणाली (Communication System) भी सम्मिलित है, की वार्षिक स्थाई लागत (Annual Fixed Cost-AFC) में निम्न घटक सम्मिलित होंगे :

(क) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on equity) ;

(ख) ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and finance charges on loan capital);

(ग) अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation);

(घ) पट्टा/भाड़ा–क्रय प्रभार (Lease/Hire Purchase Charges);

(ड.) प्रचालन तथा संधारण व्यय (Operation and Maintenance Expenses); तथा

(च) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on working capital)

24. पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity):

(24.1) पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना, चुकाई गई पूंजी (paid-up equity) पर रूपयों के रूप में विनियम 22 में अवधारित किये गये अनुसार की जाएगी।

(24.2) पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना 15.50 प्रतिशत की आधार दर (base rate) पर की जाएगी, जिसे इस विनियम के खण्ड 24.3 के अनुसार समेकित (gross edup) किया जाएगा :

परन्तु यह कि :

(एक) किसी नवीन परियोजना हेतु प्रतिलाभ की दर को एक प्रतिशत की दर से ऐसी अवधि हेतु, जैसा कि इसके बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, कम कर दिया जाएगा यदि पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत किसी आंकड़े, भार प्रेषण केन्द्र अथवा सुरक्षा प्रणाली (protection system) तक आंकड़ा सुदूर मापयंत्र व्यवस्था (data telemetry) तथा संचार प्रणाली को क्रियाशील किये बगैर, घोषित किया जाना पाया गया हो:

(दो) जब कभी भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर पारेषण प्रणाली में उपरोक्त आवश्यकता का अभाव पाया जाता हो तो पूंजी पर प्रतिलाभ को उक्त अवधि तक के लिये जब तक कि यह कमी की दर जारी रहती हो, एक प्रतिशत की दर से कम कर दिया जाएगा।

(24.3) पूंजी पर प्रतिलाभ की आधार दर (base rate) को, जैसा कि आयोग द्वारा इसे विनियम 24.2 द्वारा अनुज्ञेय किया गया हो, तत्संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर (effective tax rate) के साथ समेकित किया जाएगा।इस प्रयोजन हेतु संबंधित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसंगत वित्त अधिनियमों के प्रावधानों से संरेखित प्रभावी कर दर को संबंधित वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से किए गए कर भुगतान के आधार पर माना जाएगा, अन्य आय प्रवाह पर वास्तविक आयकर (actual income tax), विलम्बित कर (deferred tax) (अर्थात, गैर–पारेषण व्यापार से प्राप्त आय) को शामिल करते हुए, को ''प्रभावी कर दर (effective tax rate)'' की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(24.4) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर की गणना को तीन दशमलव बिन्दुओं तक पूर्णांक किया जाएगा तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

पूंजी पर पूर्व–कर प्रतिलाभ की दर(Pre-tax return on equity) = आधार दर (base rate) / (1-t)

जहां 't' इस विनियम के खण्ड 24.3 के अनुसार प्रभावी कर दर (effective tax rate) है तथा इसकी गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित लाभ तथा भुगतान की जाने वाली कर राशि के आधार पर कम्पनी को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु लागू सुसंगत वित्तीय अधिनियम के प्रावधानों से संरेखित आनुपातिक आधार पर या गैर–पारेषण व्यापार से आय को असम्मिलित करते हुए, यथास्थिति, तथा उस पर तत्संबंधी कर के आधार पर की जाएगी। ऐसे प्रकरण में, जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax-MAT) का भुगतान कर रहा हो, वहां "t" को न्यूनतम वैकल्पिक कर, अधिभार (surcharge) तथा उपकर (cess) को शामिल करते हुए, माना जाएगा।

उदाहरण :

(एक) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो न्यूनतम वैकल्पिक (MAT) कर का भुगतान 21.55 प्रतिशत की दर से, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए कर रहा हो, वहां पूंजी पर प्रतिलाभ की दर = 15.50 ⁄ (1 − 0.2155) =19.758 प्रतिशत होगी।

(दो) ऐसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रकरण में, जो सामान्य निकाय कर (normal corporate tax) का भुगतान, अधिभार तथा उपकर को शामिल करते हुए, कर रहा हो वहां :

(क) यदि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विद्युत् पारेषण व्यापार से अनुमानित सकल आय रू.1000 करोड़ हो,

(ख) तथा उपरोक्त राशि पर अनुमानित अग्रिम कर की राशि रू. 240 करोड़ हो, वहां

(ग) वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रभावी कर दर (Effective Tax Rate) =रू. 240 करोड़ ⁄ रू. 1000 करोड़ = 24 प्रतिशत होगी।

(घ) पूंजी पर प्रतिलाभ की दर (Rate of Return of Equity) =15.50/ (1-0.24) =20.395 प्रतिशत होगी।

(तीन) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में वास्तविक भुगतान किए गए कर के आधार पर, मय अतिरिक्त कर मांग के, उस पर ब्याज की राशि को जोड़कर पूंजी पर प्रतिलाभ की दर को सत्यापित किया जाएगा जिसे यथोचित तौर पर कर के किसी प्रत्यर्पण हेतु, किसी वित्तीय वर्ष हेतु वास्तविक सकल आय पर, विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक से संबंधित, आयकर विभाग से प्राप्त की गई किसी ब्याज राशि को सम्मिलित करते

हुए, समायोजित किया जाएगा। तथापि, किसी शास्ति (penalty) की राशि, यदि कोई हो, जो किसी जमा की गई राशि के विलंबित भुगतान या निर्धारित कर राशि से कम जमा की गई राशि से उद्भूत हो, का पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा नहीं किया जाएगा। पूंजी पर प्रतिलाभ पर सकलबद्ध दर की कम वसूल की गई या अधिक वसूली की गई राशि को, सत्यापित किए जाने के पश्चात वर्ष–दर–वर्ष आधार पर दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं से राशि की वसूली की जाएगी या प्रत्यर्पण किया जाएगा।

(24.5) यदि पारेषण प्रणाली द्वारा स्वयं को किसी अन्य विनियमित (regulated) या अविनियमत (un regulated) व्यापार या अन्य किसी व्यापार में सन्निहित किया गया हो तो किसी अन्य विनियमित या अविनियमित व्यापार या अन्य व्यापार से आय पर वास्तविक रूप से भुगतान को प्रभावी कर दर (effective tax rate) की गणना से अपवर्जित (exclude) रखा जाएगा।

परन्तु यह कि यदि कम्पनी द्वारा आयकर की राशि का भुगतान पूर्ण रूप से न किया गया हो तो प्रभावी आयकर दर ''शून्य'' मानी जाएगी।

(24.6) विद्युत–दर (टैरिफ) का सत्यापन करते समय प्रभावी कर दर को वास्तविक रूप से अन्तिम अंकेक्षित लेखों के अनुसार भुगतान किये गये कर के आधार पर माना जाएगा जो आयोग के युक्तियुक्त परीक्षण के अध्यधीन होगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ के समेकन के शुद्ध प्रभाव को भुगतान की गई वास्तविक कर राशि की सीमा के भीतर अनुज्ञेय किया जाएगा।

25. ऋण पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges on Loan Capital) :

(25.1) विनियम 22 में दर्शाई गई रीति के अनुसार प्राप्त किये गये ऋण, ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल मानदण्डीय ऋण (gross normative loan) माने जाएंगे।

(25.2) दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में बकाया मानदण्डीय ऋण की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक सकल मानदण्डीय ऋण में से संचित अदायगी (cumulative repayment) को घटाकर की जाएगी।

(25.3) विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 तक के प्रत्येक वर्षहेतु अदायगी को संबंधित वर्ष/अवधि हेतु अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के बराबर माना जाएगा। परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण (decapitalization) से संबन्धित मामले में, अदायगी (repayment) का समायोजन संचित अदायगी द्वारा आनुपातिक आधार (pro-rata basis) पर

किया जाएगा तथा यह समायोजित राशि ऐसी परिसम्पत्ति के बारे में अपूंजीकरण तिथि तक वसूल की गई संचित अवमूल्यन राशि से अधिक न होगी।

(25.4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भले ही किसी भी ऋण–स्थगन अवधि (moratorium) का लाभ लिया गया हो, ऋण की अदायगी को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही माना जाएगा तथा यह वार्षिक अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन के समतुल्य होगा।

(25.5) ब्याज की दर, ब्याज की भारित औसत दर के बराबर होगी, जिसकी गणना समुचित लेखांकन समायोजन (appropriate accounting adjustment) अथवा पूंजीकृत ब्याज (interest capitalized) के प्रावधान पश्चात् वास्तविक ऋण की श्रेणी (actual loan folio port) के आधार पर की जाएगी :

परन्तु यह कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में कोई वास्तविक ऋण न हो परन्तु मानदण्डीय ऋण अभी भी बकाया हो तो ऐसी दशा में अन्तिम उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर (weighted average rate of interest) ही मानी जाएगी :

परन्तु आगे यह और कि यदि पारेषण प्रणाली के विरूद्ध वास्तविक ऋण लंबित न हो तो ऐसी दशा में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की समग्र रूप से भारित औसत ब्याज दर ही मानी जाएगी।

(25.6) ऋण पर ब्याज की गणना वर्ष के मानकीकृत औसत ऋण पर भारित औसत ब्याज दर की प्रयुक्ति द्वारा की जाएगी।

(25.7) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था (refinancing) हेतु समस्त प्रयास करेगा जब तक यह ब्याज पर शुद्ध लाभ (net savings) में परिणत न हो जाए तथा ऐसी दशा में ऐसी पुनर्वित्त व्यवस्था हेतु संबद्ध लागतों को हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा इस प्रकार की गई शुद्ध बचत राशि को हितग्राहियों/लाभार्थियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य 1 : 1 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा।

(25.8) ऋणों के निबंधन तथा शर्तों में किये गये परिवर्तनों को इस प्रकार की गई पुनर्वित्त व्यवस्था (Refinancing) की तिथि से दर्शाया जाएगा।

(25.9) किसी विवाद की दशा में, पक्षों में सेकोई भी समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु यह कि पारेषण क्रेताओं (Transmission Customers) द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किये गये ब्याज के कारण किसी प्रकार के भुगतान को ऋण की

पुनर्वित्त व्यवस्था (refinancing of loan) से उद्भूत किसी विवाद के प्रतितोषण की प्रत्याशा में रोका नहीं जाएगा।

26. अवमूल्यन/अवक्षयण (Depreciation) :

विद्युत्–दर (टैरिफ) के अवधारण के प्रयोजन हेतु, अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न रीति के अनुसार की जाएगी:

(क) अवमूल्यन या अवक्षयण (Depriciation) की गणना किसी पारेषण प्रणाली, उसकी संचार प्रणाली (Communication System) अथवा उसके किसी घटक (element) को सम्मिलित करते हुए उसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से की जाएगी। किसी पारेषण प्रणाली में, उसकी संचार प्रणाली को शामिल करते हुए, विद्युत्–दर (टैरिफ) के प्रकरण में, जिस हेतु एकल विद्युत्–दर अवधारण किया जाना आवश्यक हो, वहां अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना पारेषण प्रणाली की प्रभावी प्रचालन की तिथि से, वैयक्तिक इकाइयों अथवा घटकों के अवमूल्यन पर विचार करते हुए की जाएगी :

परन्तु यह कि वाणिज्यिक प्रचालन की प्रभावी तिथि की गणना पारेषण प्रणाली के समस्त घटकों के बारे में जिनकी एकल विद्युत्–दर (single tariff) अवधारित किया जाना अपेक्षित हो, संबंधी कार्यवाही वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा स्थापित क्षमता (installed capacity) अथवा पारेषण प्रणाली के समस्त घटकों की पूंजीगत लागत (capital cost) पर विचार करते हुए की जाएगी।

(ख) अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना के प्रयोजन हेतु मूल्य आधार (value base), आयोग द्वारा स्वीकृत परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत होगा। पारेषण प्रणाली के बहुविध घटकों (multiple elements) के प्रकरण में, पारेषण प्रणाली के भारित औसत जीवनकाल (weighted average life) का अनुप्रयोग किया जाएगा। अवमूल्यन/अवक्षयण वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से ही आदेय (chargeable) होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रकरण में, वर्ष के किसी भाग हेतु, अवमूल्यन/अवक्षयण को आनुपातिक आधार (prorata basis) पर प्रभारित किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित/स्वीकृत लागत में विदेशी मुद्रा (foreign currency) के निधीयन (funding) को सम्मिलित किया जाएगा जिसे वास्तविक तिथि को प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा पर प्रचलित विनिमय दर (exchange rate) पर समतुल्य रूपयों (equivalent rupee) में परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) परिसम्पत्ति का उपादेय मूल्य (salvage value) 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा अवमूल्यन/अवक्षयण को परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु यह कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उपकरण तथा सॉफ्टवेयर का उपादेय मूल्य शून्य माना जाएगा तथा परिसम्पत्तियां के शतप्रतिशत मूल्य को अवमूल्यनयोग्य माना जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि पारेषण प्रणाली की निम्नतर उपलब्धता के कारण अस्वीकार किये गये किसी अवमूल्यन/अवक्षयण को बाद में उसके उपयोगी जीवनकाल (usefull life) अथवा विस्तारित जीवनकाल (extended life) के दौरान किसी प्रक्रम पर वसूल किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ङ) पट्टे पर धारित की गई भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि को अवमूल्यनयोग्य परिसम्पत्ति नहीं माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति के अवमूल्यनयोग्य मूल्य की संगणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत (capital cost) में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(च) अवमूल्यन की गणना 'नियत किस्त पद्धति (Straight Line Method)' के आधार पर तथा पारेषण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु इन विनियमों के **परिशिष्ट–एक** में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगीः

परन्तु यह कि वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के पश्चात परिसम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत न्यायसंगत ढंग से (equitably) प्रसारित कर दिया जाएगाः

परन्तु आगे यह और कि परिसम्पत्ति के सृजन हेतु उपभोक्ता के अंशदान (Consumer Contribution) अथवा पूंजीगत सहायतानुदान/अनुदान (Capital Subsidy/grant) आदि को लेखांकन नियम (Accounting Rules), जो समय–समय पर अधिसूचित कर लागू किये जाएंगे, के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा।

(छ) विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरण में, दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यनयोग्य मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यनयोग्य मूल्य (Gross Depreciable Value) में से संचित अवमूल्यन (Cumulative Depreciation) को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन की दर (Rate of Depreciation) को **परिशिष्ट–एक** में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा।

(ज) अवमूल्यन वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से आदेय (chargeable) होगा। परिसम्पत्ति के वाणिज्यिक प्रचालन वर्ष के किसी भाग हेतु अवमूल्यन को आनुपातिक आधार (prorata basis) पर प्रभारित किया जाएगा।

(झ) पारेषण प्रणाली अथवा इसके किसी घटक के बारे में संबंधित परिसम्पत्तियों के अपूंजीकरण (de-capitalization) के मामले में संचित अवमूल्यन (Cumulative Depreciation) को उसकी उपयोगी सेवाओं के दौरान अपूंजीकृत परिसम्पत्ति द्वारा विद्युत्–दर (टैरिफ) में वसूल किये गये अवमूल्यन को ध्यान में रखकर समायोजित किया जाएगा।

27. पट्टा/भाड़ा क्रय प्रभार (Lease/Hire Purchase Charges):

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पटटे (Lease) पर ली गई परिसम्पत्तियों पर पटटा प्रभार पटटा संबंधी अनुबंध (lease agreement) के अनुसार माने जाएंगे बशर्ते आयोग द्वारा इन प्रभारों को युक्तिसंगत (reasonable) माना गया हो।

28. प्रचालन एवं संधारण व्यय (Operation & Maintenance Charges):

(28.1) विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों (normative O&M expenses) के आधार पर किया जाएगा।

(28.2) कर्मचारी (employee) व्यय, मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (repair and maintenance expenses) और प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (administrative and general expenses) से संबंधित लागत घटकों पर इन विनियमों के विनियम 38.1 के अनुसार विचार किया गया हैं। तन्तुपथों/लाइनों (Lines) हेतु प्रचालन तथा संधारण व्ययों (O&M expenses) की गणना लाख रूपये/100 सर्किट किलोमीटर/वर्ष (Rs Lakhs/100 Ckt. Km/annum) तथा बे (bays) हेतु लाख रूपये/बे/वर्ष (Rs Lakhs/Bay/annum) मान कर की गई है। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की क्रियाविधि (methodology) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) से भिन्न है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 तक 4 वर्षों के लिये सत्यापन आदेश वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के पांच–वर्षीय नियन्त्रण अवधि हेतु मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम 2020 के अनुसार पारित किये हैं। यह पाया गया है कि वास्तविक प्रचालन एवं संधारण व्यय मानदण्डीय (normative) प्रचालन एवं संधारण व्यय का 83% (अर्थात् 0.83) है। इस अनुपात को 0.85 के रूप में पूर्णांक किया गया है। मप्रविनिआ विनियम, 2020 में वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रदत्त प्रचालन तथा संधारण मानदण्डों की पुनर्गणना 0.85 गुणन–कारक (multiplication factor) मान कर

की गई है। तत्पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मानदण्डों के अवधारण हेतु अंकों में वृद्धि कारक (escalation factor) 5.25 प्रतिशत प्रति वर्ष (जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा माना गया है), के अनुसार की गई है।

(28.3) अनुवर्ती वर्षों के लिए मानदण्डीय प्रचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण आधार वर्ष, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु व्ययों में वृद्धि द्वारा वृद्धि कारक 5.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने टैरिफ विनियम, वर्ष 2024 में तत्संबंधी वित्तीय वर्षों हेतु माना गया है, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना हेतु किया जाएगा।

(28.4) उपरोक्त प्रचालन तथा संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचार किये गये कर्मचारी व्यय में पेंशन तथा अन्य सेवान्त प्रसुविधाएं शामिल नहीं हैं।आयोग द्वारा मप्रविनिआ (मण्डल तथा उत्तराधिकारी इकाइयों के कार्मिकों को पेंशन तथासेवान्त प्रसुविधा दायित्वों की स्वीकृति हेतु निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012(जी–38, वर्ष 2012) 20 अप्रैल, 2012 को अधिसूचित किये गये हैं। पेंशन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के संबंध में व्यय उपरोक्त विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्वीकार किये जाएंगे। पारेषण प्रणाली हेतु सुरक्षा व्यय पृथक से युक्तियुक्त परीक्षण पश्चात अनुज्ञेय किये जाएंगे।

(28.5) युद्ध (War), विद्रोह (insurgency) अथवा कानून में कतिपय परिवर्तनों (change in laws) अथवा ऐसी समतुल्य परिस्थितियों के कारण संचालन तथा संधारण व्यय में अभिवृद्धि के संबंध में, जहां आयोग का यह अभिमत हो कि उक्त वृद्धि न्यायोचित है, पर आयोग इसे किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु लागू करने पर विचार कर सकेगा।

(28.6) पारेषण कम्पनी द्वारा किसी वर्ष में अर्जित की गई कतिपय बचत (saving) को उसे स्वयं के पास धारित रखे जाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। किसी वर्ष में लक्ष्य संचालन व संधारण व्ययों से आधिक्य के कारण होने वाली किसी हानि को पारेषण कम्पनी को वहन करना होगा।

29. कार्यकारी पूंजी पर देय ब्याज प्रभार (Interest Charges on Working Capital) :

(29.1) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर मानदण्डीय आधार (normative basis) पर होगी तथा इसे 01.04.2024 की स्थिति में ब्याज की संदर्भ दर (Reference Rate of Interest) अथवा विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 के दौरान उक्त वर्ष की एक अप्रैल को, जिसके दौरान पारेषण प्रणाली, संचार प्रणाली अथवा उसके किसी घटक कोवाणिज्यिक प्रचालन के अन्तर्गत घोषित किया जाए, इनमें से जो भी बाद में घटित हो, माना जाएगा।

(29.2) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज मानदण्डीय आधार पर ही देय होगा, जैसा कि इसकी गणना उपरोक्त विनियम 29.1 के अनुसार या फिर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक किये गये व्ययों के अनुसार, इनमें जो भी कम हो, सत्यापन याचिका में युक्तियुक्त परीक्षण के पश्चात की जाएगी।

30. विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (Foreign Exchange Rate Variation - FERV):

(30.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय की अनावृत्ति (exposure) को पारेषण प्रणाली हेतु विदेशी मुद्रा में प्राप्तकिये गये ऋण पर ब्याज तथा विदेशी ऋण की अदायगी के संबंध में समायोजन (hedge) आंशिक अथवा पूर्ण रुप से जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की स्वेच्छानुसार होगा, कर सकेगा।

(30.2) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, मानदण्डीय विदेशी ऋण (normative foreign debt) से तत्संबंधी विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से संरक्षण की लागत की वसूली, सुसंगत वर्ष में, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर, उक्त अवधि के दौरान जब कि यह व्यय के रुप में उद्भूत हो, करेगा तथा इस प्रकार के विदेशी विनिमय दर परिवर्तन से तत्संबंधी अतिरिक्त रुपयों के भुगतान के दायित्व को, समायोजित किये गये विदेशी ऋण के विरुद्ध अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(30.3) उक्त सीमा, जहां तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विदेशी विनिमय अनावृत्ति (foreign exchange exposure) को समायोजित (hedge) करने में असमर्थ हो, अतिरिक्त रुपयों में भुगतान के दायित्व हेतु ब्याज का भुगतान तथा ऋण की अदायगी जो मानदण्डीय विदेशी मुद्रा ऋण के सुसंगत वर्ष से तत्संबंधी हो, को अनुज्ञेय किया जाएगा बशर्ते पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके सामग्री प्रदायकर्ता अथवा ठेकेदार इसके लिये उत्तरदायी न हों।

(30.4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समायोजन संबंधी लागत तथा विदेशी विनिमय दर परिवर्तन को आय या व्ययके रूप में उक्त अवधि के दौरान, जब वह उद्भूत हो, वर्ष–दर–वर्ष आधार पर वसूल करेगा।

31. आय पर कर (Tax on Income) :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण क्रेताओं (customers) से आय–प्रवाहों (Income Streams) पर कर की वसूली पृथक से नहींकी जाएगी।

32. विद्युत–दर आय (Tariff Income) :

आयोग द्वारा विद्युत् के पारेषण हेतु अवधारित समस्त प्रभारों से प्राप्त आय को विद्युत–दर (टैरिफ) आयमाना जाएगा। विद्युत–दर (टैरिफ) आय में पारेषण प्रभार, अनुक्रिया ऊर्जा

(Reactive Energy) प्रभार एवं अन्य प्रभार जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, सम्मिलित होंगे।

33. गैर विद्युत–दर आय (Non-Tariff Income) :

(33.1) समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कम्पनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004,के अन्तर्गत अनुसूची (schedule) के अनुसार आय को 'गैर विद्युत–दर आय' (Non-tariff income) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। गैर विद्युत–दर (टैरिफ) आय में पूंजी–निवेशों (investments), सावधि जमा राशियों तथा अन्य जमा राशियों (Fixed and other Deposits) से प्राप्त आय एवं अन्य किसी गैर विद्युत–दर आय (non-tariff income) को सम्मिलित किया जाएगा।

परन्तु विद्युत पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित व्यवसाय से सुसंबद्ध पूंजी पर प्रतिलाभ में से किये गये पूंजी निवेश से अर्जित ब्याज या लाभांश राशि को गैर–विद्युत दर (टैरिफ) आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगाः

(33.2) अन्य स्त्रोतों, जैसा कि समानान्तर परिचालन प्रभारों (parallel operation charges), निर्बाध (खुली) पहुंच (open access), आवंटित क्षमता से अधिक बिल की गई आधिक्य क्षमता (excess capacity), संयोजन बिन्दु प्रभार (point of connection charges), सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) आदि के अतिरिक्त किसी आय को जिन्हें अंकेक्षित लेखों में आय के रूप में चिन्हित किया जाता है तथा जो किसी वाद (litigation) के अधीन न हों, के पचास प्रतिशत, को भी गैर विद्युत–दर आय (Non-Tariff Income) माना जाएगा।

(33.3) अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व (Revenue from other busisness) को अधिनियम की धारा 41 में विनिर्दिष्ट उक्त सीमा तक,जैसा कि इसे आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जाए, आय माना जाएगा। जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी स्वयं को दूर संचार व्यवसाय में नियोजित करता हो, वहां ऐसे व्यापार से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित राजस्व के 50% अंश को अपने प्रभारों को कम करने में उपयोग किया जाएगा।

34. विलंब भुगतान अधिभार (Late payment surcharge) :

(34.1) जहां किसी हितग्राही/लाभार्थी या दीर्घ–अवधि क्रेता द्वारा, यथास्थिति इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन देय प्रभारों के किसी देयक के भुगतान में देयकों के प्रस्तुतिकरण की तिथि से 45 दिवस से अधिक अवधि का विलंब किया जाता हो, वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा जारी विद्युत (विलंब

भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम 2022 द्वारा निर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि पारेषण सेवा अनुबन्ध (TSA)/अनुबंध में भिन्न विलंब भुगतान अधिभार क्रियाविधि प्रदान की गई हो तो इसे पारेषण सेवा अनुबन्ध (TSA)/अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार नियन्त्रित किया जाएगा।

(34.2) जब तक पक्षों (parties) द्वारा अन्यथा सहमति व्यक्त नहीं की गई हो, किसी हितग्राही/लाभार्थी या दीर्घ–अवधि क्रेता (long-term customer) द्वारा देय प्रभारों को सर्वप्रथम बकाया प्रभारों पर विलंब भुगतान अधिभार के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा तथा तत्पश्चात् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल किये गये मासिक प्रभारों के विरूद्ध, सर्वाधिक दीर्घकालीन विलम्बित देयक (longest overdue bill) से प्रारंभ करते हुए किया जाएगा।

35. छूट (Rebate) :

(35.1) विद्युत उत्पादन कंपनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान साखपत्र (Letter of Credit) या राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (NEFT)/क्षेत्रीय लेन–देन सकल व्यवस्थापन (RTGS) के माध्यम से बिल प्रस्तुति के 5 दिवस के भीतर किए जाने पर कम्पनी द्वारा 1.5% की छूट प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि यदि पारेषण सेवा अनुबन्ध (TSA)/अनुबन्ध में भिन्न छूट क्रियाविधि प्रदान की जाती है तो इसे पारेषण सेवा अनुबन्ध (TSA)/अनुबन्ध केप्रावधानों के अनुसार नियन्त्रित किया जाएगा।

व्याख्या : '5 दिवस' की गणना करते समय, दिवस संख्या की गणना निरन्तर किसी अवकाश पर विचार किये बगैर की जाएगी। तथापि, यदि अन्तिम दिवस या पाचवां दिवस आधिकारिक अवकाश हो तो छूट के प्रयोजन से पांचवे दिवस को निकटतम अनुवर्ती कार्यकारी दिवस माना जाएगा (आधिकारिक राज्य शासकीय कैलेण्डर के अनुसार जहां प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का कार्यालय या हितग्राही/लाभार्थी के प्रतिनिधि का कार्यालय बिल की प्राप्ति या अभिस्वीकृति के प्रयोजन से अवस्थित है)।

(35.2) विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा देयकों की प्रस्तुति के 5 दिवस पश्चात् तथा 30 दिवस के भीतर किये जाने पर विद्युत उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

36. व्यवसाय योजना तथा पूंजी निवेश (Business Plan and Capital Investment) :

(36.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार भार अभिवृद्धि (load growth), पारेषण हानियों में कमी (reduction in transmission losses), विद्युत् प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार (improvement in quality supply), विश्वसनीयता (reliability),

मापन व्यवस्था (metering) आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विस्तृत पूंजी निवेश योजना (Capital Investment Plan), वित्त–प्रबन्ध योजना (Financing Plan) तथा भौतिक लक्ष्य (Physical Targets) प्रस्तुत करेगा।

(36.2) प्रमुख योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य आगामी विचाराधीन वर्ष में भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधिके दौरान प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि के दौरान अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हितग्राहियों/लाभार्थियों से दीर्घ–अवधि के अनुबंधों का निष्पादन करेगा जिनके लिए प्रस्तावित मुख्य कार्य (योजनाएं) अन्तर्संयोजनों से ऊपरी तथा निचले क्षेत्रों में पूर्ण लाभ पहुंचाएंगे। ऐसी विशिष्ट योजनाएं आयोग के अनुमोदनार्थ केवल हितग्राहियों/लाभार्थियों से अनुबंधों के निष्पादन पश्चात ही प्रस्तुत की जाएंगी। यह सुविधा केवल ऐसे दीर्घ–अवधि हितग्राहियों/लाभार्थियों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उपलब्ध कराई जाएगी जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण क्षमता के उपयोग हेतु दीर्घ–अवधि अनुबंधों का निष्पादन करेंगे।

(36.3) आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना (Capital Investment Plan) पर विचार कर उसे अनुमोदन प्रदान करेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। टैरिफ आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को आयोग से पूंजी निवेश योजना का अनुमोदन कराना होगा।

(36.4) अनुमोदित पूंजी निवेश हेतु ऋण तथा पूंजी का अनुपात विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप होगा।

अध्याय – छः

पारेषण प्रणालियां (Transmission Systems)

37. प्रचालन मानदण्ड (Norms of Operation) :

(37.1) **मानदण्डीय वार्षिक पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक (Normative Annual Transmission System Availability Factor-NATSAF)** : सम्पूर्ण पारेषण प्रभारों (Transmission Charges) की वसूली हेतु यह कारक निम्नानुसार होगा :

ए.सी प्रणाली (AC System) हेतु : 98.00 प्रतिशत

(37.2) **प्रोत्साहन के विचारार्थ (For Incentive Consideration)**:

ए.सी प्रणाली (AC System) हेतु : 98.50 प्रतिशत

परन्तु यह कि 99.75 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता (availability) के लिये प्रोत्साहन का भुगतान देय न होगा :

परन्तु आगे यह और कि प्रतिवर्ष दो व्यवधानों (tripping) तक उपलब्धता की संगणना हेतु वास्तविक अवरोध घंटों (Outage Hours) पर विचार किया जाएगा। एक वर्ष में दो व्यवधानों के पश्चात् प्रत्येक व्यवधान हेतु वास्तविक अवरोध घंटों के अलावा 12 अतिरिक्त अवरोध घंटों (Outage hours) पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि पारेषण घटक (transmission element) के किसी अवरोध (outage) के प्रकरण में जो विद्युत उत्पादन केन्द्र से निष्क्रमण (evacuation) को प्रभावित करता हो वहां अवरोध घंटों को 2 के कारक (factor of 2) से गुणा कर दिया जाएगा।

(37.3) विद्युत् उपकेन्द्र में सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption in the Sub-Station) :

ए.सी प्रणाली (AC System) :

वातानुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, तथा अन्य उ पकरणों में विद्युत की खपत के प्रयोजन हेतु ए. सी (AC) विद्युत उपकेन्द्र में सहायक विद्युत खपत के प्रभारों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा तथा इन्हें मानदण्डीय प्रचालन तथा संधारण व्ययों (normative operation & maintenance expenses) में शामिल किया जाएगा।

38. प्रचालन तथा संधारण व्यय {Operation & Maintenance (O&M) Expenses}:

(38.1) प्रचालन तथा संधारण व्ययों में कर्मचारी लागत (employee cost), मरम्मत एवं संधारण लागत (repair and maintenance cost) और प्रशासनिक तथा सामान्य (Administrative & General) लागत शामिल होंगे। प्रचालन तथा संधारण व्ययों के मानदण्ड पारेषण तन्तुपथों (lines) के सर्किट किलोमीटर तथा उपकेन्द्र पर 'बे' की संख्या के अनुसार निर्धारित किये गये हैं। इन मानदण्डों में पेंशन, कर्मियों को देय सेवान्त प्रसुविधाएं, कर्मचारियों को भुगतानयोग्य बकाया राशि, यदि कोई हो, शासन को देय कर तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को देय शुल्क शामिल नहीं हैं। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शासन को देय करों की राशि तथा म.प्र. विद्युत् नियामक आयोग को भुगतान किये जाने वाले शुल्क तथा कर्मचारियों को भुगतान की गई बकाया राशि का दावा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पृथक् से करेगा। पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधाओं का दावा विनियम 28.4 के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा आवश्यकता का आकलन तथा अनुमानित और वास्तविक सुरक्षा व्ययों तथा वास्तविक प्रचालन तथा व्ययों का विवरण सत्यापन के समय समुचित औचित्य के साथ प्रस्तुत करेगा।

प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर एवं प्रति 'बे' निम्नानुसार होंगे:

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के मानदण्ड प्रति 100 सर्किट किलोमीटर (Ckt km) एवं प्रति 'बे' :

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2025–26	वित्तीय वर्ष 2026–27	वित्तीय वर्ष 2027–283	वित्तीय वर्ष 2028–29
तन्तुपथ (Lines): लाख रूपये/100 सर्किट–किलोमीटर /वर्ष						
1	400 केवी तन्तुपथ	36.89	38.82	40.86	43.01	45.26
2	220 केवी तन्तुपथ	34.44	36.35	38.15	40.16	42.27
3	132 केवी तन्तुपथ	36.25	38.15	40.16	42.26	44.48
बे (Bays): लाख रूपये/बे/वर्ष						
1	400 केवी बे	11.05	11.63	12.24	12.88	13.56
2	220 केवी बे	12.82	13.49	14.20	14.95	15.73
3	132 केवी बे	12.86	13.54	14.25	15.00	15.79

(38.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु कुल अनुज्ञेय प्रचालन तथा संधारण व्ययों की गणना वर्ष हेतु 'बे' की औसत संख्या तथा तन्तुपथ (line) की 100 सर्किट–किलोमीटर लंबाई क्रमशः संचालन एवं संधारण व्यय प्रति बे तथा प्रति 100 सर्किट–किलोमीटर के गुणनफल से प्राप्त की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष टैरिफ अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, यथास्थिति, अनुज्ञेय–योग्य प्रचालन तथा संधारण व्ययों के दावे के समर्थन में, वास्तविक अथवा प्रक्षेपित लाईनों की लंबाई के सर्किट किलोमीटरों का विवरण तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर हेतु 'बे' की संख्या पृथक्–पृथक् प्रस्तुत करेगा।

(38.3) सेवान्त प्रसुविधाओं का भुगतान विनियम 28.4 में किये गये प्रावधान अनुसार कियाजाएगा।

39. कार्यकारी पूंजी (Working Capital) :

विद्युत्–दर (टैरिफ) अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु, कार्यकारी पूंजी में निम्नलिखित मदें शामिल होंगीः

(1) संधारण कल–पुर्जों (Spares) पर, प्रचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से जैसा कि विनियम 38 में निर्दिष्ट किया गया है;

(2) लक्ष्य उपलब्धि स्तर के आधार पर की गई गणनानुसार पारेषण प्रभारों के 45 दिवस के बराबर प्राप्तियोग्य सामग्रियों की लागत ; तथा

(3) प्रचालन एवं संधारण व्यय, एक माह हेतु।

40. वार्षिक पारेषण प्रभार (Annual Transmission Charges-ATC) :

(40.1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कुल वार्षिक व्ययों तथा पूंजी (equity) पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की गणना विनियम 19 से 31 सहपठित विनियम 37 से 39 की शर्तों के अनुसार की जाएगी।

(40.2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसके वार्षिक पारेषण प्रभारों (ATC) की वसूली हितग्राहियों / लाभार्थियों से विनियम 41 तथा42 द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति में किये जाने बाबत प्राधिकृत होगा।

41. स्थाई प्रभारों की वसूली (Recovery of Fixed Charges):

(41.1) पारेषण प्रणाली की स्थाई लागत की गणना वार्षिक आधार पर इन विनियमों में अन्तर्विष्ट मानदण्डों के अनुसार इन्हें समुचित रूप से समेकित करते हुए की जाएगी तथा उपयोगकर्ताओं से इसकी वसूली पारेषण प्रभार के रूप में मासिक आधार पर की जाएगी जिनके मध्य विनियम में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार, इन प्रभारों का परस्पर संविभाजन किया जाएगा।

(41.2) पारेषण प्रणाली या उसके किसी अंश हेतु किसी कैलेण्डर माह के लिये देय पारेषण प्रभार (प्रोत्साहन को सम्मिलित करते हुए) की गणना प्रत्येक क्षेत्र हेतु एसी तथा डीसी प्रणाली (AC and DC System) हेतु पृथक–पृथक निम्नानुसार की जाएगी :

एसी प्रणाली (AC System) हेतु :

क) TAFM $n \leq$ 98.00% हेतु

AFC x (NDMn/NDY) x (TAFMn/98.00%)

ख) TAFMn: 98.00%< TAFMn< 98.50% हेतु

AFC x (NDMn/NDY) x (1)

ग) TAFMn: 98.50%< TAFM$n \leq$ 99.75% हेतु

AFC x (NDMn/NDY) x (TAFM/98.50%)

घ) TAFM$n \geq$ 99.75% हेतु

AFC x (NDMn/NDY) x (99.75%/98.50%)

जहां

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में)

NDM_n = $_n$वें माह में दिवस संख्या

NDY = वर्ष में दिवस संख्या

$TAFM_n$ = $_n$वेंमाह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक, प्रतिशत में जिसकी गणना **परिशिष्ट–दो** के अनुसार की जाएगी

उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा द्विध्रुव, संयोजन (HVDC bi-Pole, links) तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्रों (HVDC back to back Stations) हेतु :

TC_1 = AFC x (NDM_1 / NDY) x ($TAFM_1$/NATAF)

TC_2 = AFC x (NDM_2 / NDY) x ($TAFM_2$/NATAF) – TC_1

TC_3 = AFC x (NDM_3 / NDY) x ($TAFM_3$/NATAF) – (TC_1+TC_2)

TC_4 = AFC x (NDM_4 / NDY) x ($TAFM_4$/NATAF) – (TC_1+TC_2+TC_3)

….

TC_{11} = AFC x (NDM_{11}/NDY) x ($TAFM_{11}$/NATAF) - (TC_1+TC_2+…. +TC_{10})

TC_{12} = AFC x (TAFY/NATAF) – (TC_1+TC_2+….+TC_{11});

यदि,

(i) TAFM: 95.00%< TAFM < 97.50% हो, तो TAFM=NATAF होगा;

(ii) TAFM: 97.50%≤ TAFM ≤ 99.75% हो, तो NATAF=97.50% होगा; तथा

(iii) TAFM ≥ 99.75%हो तो TAFM=99.75% तथा NATAF= 97.50% होगा।

जहां

TCn = nवें माह तक पारेषण प्रभार, प्रोत्साहन को शामिल करते हुए

AFC = वर्ष हेतु वार्षिक स्थाई लागत, रूपये में

NATAF = मानदण्डीय वार्षिक पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

NDMn = वित्तीय वर्ष के nवें माह के अन्त तक कुल दिवस संख्या

NDY = वर्ष में दिवस संख्या

TAFMn = nवें माह के अन्त तक पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में जिसकी गणना **परिशिष्ट–दो** के अनुसार की जाएगी

TAFY = वर्ष हेतु पारेषण उपलब्धता कारक, प्रतिशत में

42. हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा पारेषण प्रभारों के भुगतान में हिस्सेदारी तथा तत्संबंधी भुगतान {Sharing and Payment of Transmission Charges by Beneficiaries} :

(42.1) यदि किसी पारेषण प्रणाली का सृजन किसी विशिष्ट दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही/ लाभार्थी हेतु, जिसमें किसी विद्युत् उत्पादन केन्द्र हेतु समर्पित पारेषण तन्तुपथ भी शामिल है/हैं, किया गया हो तो ऐसी पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों का भुगतान उक्त दीर्घ–अवधि पारेषण हितग्राही/लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।

(42.2) किसी राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली हेतु, मासिक पारेषण प्रभारों को दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेताओं द्वारा हिस्सेदारी हेतु निम्न सूत्र के अनुसार समेकित किया जाएगा :

किसी राज्यान्तरिक प्रणाली के अन्तर्गत एक माह हेतु उक्त पारेषण प्रणाली के लिये किसी दीर्घ–अवधि पारेषण क्रेता द्वारा भुगतानयोग्य पारेषण प्रभार

= (AFC x NDM/NDY) x CL/SCL

जहां

AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थाई लागत (रूपये में),

NDM = एक माह में दिवस संख्या,

NDY = एक वर्ष में दिवस संख्या,

CL = दीर्घ–अवधि या मध्यम–अवधि पारेषण क्रेता को आवंटित पारेषण क्षमता,

SCL = राज्य पारेषण प्रणाली के समस्त दीर्घ–अवधि तथा मध्यम–अवधि पारेषण क्रेताओं को आवंटित पारेषण क्षमताओं का योग।

परन्तु यह कि विद्युत–दर (टैरिफ) तथा सत्यापन याचिकाओं को दाखिल करते समय अनुबंधित/संविदाकृत (contracted) दीर्घ–अवधि तथा मध्यम–अवधि पारेषण क्षमता पर विचार इसी अनुक्रम में किया जाएगा।

(42.3) राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली के मध्यम–अवधि उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रभार का भुगतान उक्त मेगावाट के अनुपात मेंकिया जाएगा जिस हेतु, राज्य पारेषण इकाई द्वारा उक्त माह हेतु मध्यम–अवधि उपयोग को अनुमोदित किया गया हो।

(42.4) लघु–अवधि हितग्राही प्रभारों का भुगतान समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों तथा बैकिंग प्रभारों के अवधारण की प्रक्रिया) विनियम, 2023 के अनुसार कर सकेंगे।

(42.5) किसी संयंत्र क्षमता से संबद्ध पारेषण प्रभार, जिन हेतु हितग्राही/लाभार्थी को चिन्हांकित तथा संविदाकृत न किया गया हो, का भुगतान संबंधित विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

(42.6) राष्ट्रीय विद्युत् नीति की धारा 5.8.10 में पारेषण तथा वितरण हानियों को कम किये जाने संबंधी प्रयासों का प्रावधान किया गया है। आयोग एतद्द्वारा पूर्व विनियमों की हानि स्तर की प्रक्षेप–वक्र तथा पूर्व वर्षों की वास्तविक पारेषण हानियों पर आधारित निम्न प्रक्षेप–वक्र निर्दिष्ट करता है ताकि मापदण्डों तथा टैरिफ संबंधी विषयों पर संदर्भ मूल्य (reference value) उपलब्ध रहे :

लक्ष्यबद्ध पारेषण हानियां (Target Transmission Losses) (प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रतिशत	2.75%	2.74%	2.73%	2.72%	2.71%

अध्याय – सात

विविध (Miscellaneous)

43. स्वच्छ विकास क्रियाविधि (Clean Development Mechanism-CDM) :

अनुमोदित स्वच्छ विकास क्रियाविधि से प्राप्त कार्बन आकलन प्राप्तियों का परस्पर संविभाजन निम्न रीति द्वारा किया जाएगा, अर्थात् :

(क) स्वच्छ विकास कार्यविधि के कारण सकल प्राप्तियों की शत–प्रतिशत राशि परियोजना के विकासकर्ता द्वारा पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के प्रथम वर्ष में स्वयंके पास रखी जाएगी।

(ख) द्वितीय वर्ष में, हितग्राहियों/लाभार्थियों का अंशदान 10 प्रतिशत होगा, जिसमें प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की जाएगी, जिसे 50 प्रतिशत तक पहुंचने के उपरान्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा प्राप्तियों का समान अनुपात में संविभाजन किया जाएगा।

44. परिचालन मानदण्डों के परिसीमन का उच्चस्थ होना (Operational Norms to be Celing Norms) :

इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये विनियम उच्चस्थ मानदण्ड हैं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों को समुन्नत मानदण्डों के प्रति सहमत होने से प्रतिबंधित नहीं करेंगे तथा यदि समुन्नत मापदण्डों के प्रति सहमति बनती हो तो ऐसे मानदण्ड विद्युत–दर के अवधारण हेतु लागू किये जा सकेंगे।

45. उच्चतम विद्युत–दर से विचलन (Deviation from celling tariff) :

(क) अवधारित की गई विद्युत–दर उच्चतम सीमा होगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राही/लाभार्थी परस्पर निम्नतर विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारित करने हेतु भी सहमत हो सकते हैं।

(ख) पारेषण अनुज्ञपितधारी अदायगी की आवश्कयता के आधार पर न्यून अवमूल्यन /अवक्षयण के कारण इन विनियमों की वैधता के भीतर रहते हुए निम्न विद्युत–दर प्रभारित करने बाबत विकल्प का चयन कर सकेगा। ऐसे प्रकरण में उपयोगी जीवनकाल के दौरान पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवमूल्यन/अवक्षयण में कमी के कारण प्रति प्राप्त न किये गये अवमूल्यन की वसूली इन विनियमों में उपयोगी जीवनकाल के बाद की जा सकेगी।

(ग) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों की वैधता के भीतर रहते हुए परिचालन मापदण्डों

से विचलन के बारे में प्रचालन एवं संधारण व्ययों को कम करने, पूंजी पर घटे हुए प्रतिलाभ तथा इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रोत्साहन के बारे में सहमति व्यक्त करते हुए निम्न विद्युत–दर प्रभारित करने बाबत विकल्प का चयन कर सकेगा।

(घ) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतम विद्युत–दर में विचलन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों के मध्य सम्मत तिथि से प्रभावशील होगा।

(ङ) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र के हितग्राहियों/लाभार्थियों को उपरोक्त विनियमों के अनुसार निम्नतर विद्युत–दर प्रभारित करने हेतु आयोग से सम्पर्क करना होगा। लेखे के विवरण तथा वास्तविक रूप से प्रभारित की गई विद्युत–दर को सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(च) जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा हितग्राहियों/लाभार्थियों द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर विनियमों के अनुसार निम्नतर दर प्रभारित करने का निर्णय लिया गया हो वहां समस्त विद्युत–दर में इन विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत तथा अतिरिक्त पूंजीगत व्ययों के आधार पर सत्यापन के समय ऊर्ध्वमुखी पुनरीक्षण (upward revision) नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां सत्यापित की गई विद्युत–दर (टैरिफ) सम्मत विद्युत–दर (agreed tariff) से कम हो वहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसी सत्यापित विद्युत–दर ही प्रभारित करेगा :

परन्तु आगे यह और कि पक्षों के मध्य सम्मत विद्युत–दर (agreed tariff) तथा सत्यापित विद्युत–दर (trued-up tariff) के मध्य अन्तर का निपटान इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

46. मानदण्डों से विचलन (Deviation from Norms) :

पारेषण प्रभारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने पर निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किया जा सकेगा :

(क) परियोजना के उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत, समतुल्य विद्युत्–दर (Levelized Tariff) जिसकी गणना केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित छूट कारक (discounting factor) पर आधारित मानदण्डों से विचलन के आधार पर अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु की गई हो, बशर्ते यह इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार की गई गणना से अधिक न हो ; और

(ख) कोई भी विचलन केवल आयोग के अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावशील होगा जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लागू विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु एक आवेदन–पत्र टैरिफ याचिका/वार्षिक राजस्व आवश्यकता दाखिल करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

47. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति(Power to Remove Difficulties) :

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसा कर सकेगा, उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकेगा अथवा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा कार्य करने अथवा उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु निर्देशित कर सकेगा जो आयोग की राय में कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजन से आवश्यक अथवा वांछनीय है।

48. शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power to Relax) :

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

49. संशोधन करने की शक्ति (Power to Amend) :

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के उपबन्धों को उनमें कुछ भी जोड़ने, बदलने, परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन करने संबंधी अभिक्रिया कर सकेगा।

50. निरसन तथा व्यावृत्ति (Repeal and Savings) :

(50.1) विनियम अर्थात्: ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–चतुर्थ) विनियम, 2020 {आरजी–28(IV), वर्ष 2020}'' क्रमांक 234/मप्रविनिआ/2020 दिनांक 06.02.2020 जो राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 14.02.2020 द्वारा समस्त संशोधनों के साथ सहपठित है जैसा कि यह विनियमों की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता हैं।

(50.2) इस विनियमों में की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

(50.3) इन विनियमों में कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो, तथापि, इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष

परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आवश्यक या समीचीन समझता हो।

(50.4) इन विनियमों में कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी रीति में, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जो कि वह उचित समझे।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–पंचम) विनियम, 2024'' के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार
डॉ. उमाकान्त पाण्डा
सचिव

परिशिष्ट–एक

अवमूल्यन अनुसूची (Depreciation Schedule)

सरल क्रमांक	परिसंपत्ति की विशिष्टताएं (Asset Particulars)	अवमूल्यन दर (उपादेय मूल्य =10%) सरल रेखा विधि
A	पूर्ण स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	**0.00%**
B	पट्टे के अंतर्गत भूमि	
(i)	भूमि में निवेश हेतु	**3.34%**
(ii)	स्थल की सफाई की लागत हेतु	**3.34%**
	नवीन क्रय की गई परिसंपत्तियां	
(a)	निम्न हेतु भवन तथा सिविल अभियांत्रिकी कार्य	
(i)	कार्यालय एवं शोरूम	**3.34%**
(ii)	अस्थाई संरचनाएं, जैसे कि काष्ठ संरचनाएं	**100.00%**
(iii)	कच्चे मार्गों को छोड़कर, अन्य मार्ग	**3.34%**
(iv)	अन्य	**3.34%**
(b)	ट्रांसफार्मर, गुमटियां उपकेन्द्र उपकरण तथा अन्य स्थाई उपकरण (संयंत्र सम्मिलित कर)	
(i)	ट्रांसफार्मर, नींव को सम्मिलित करते हुए जिसका मूल्यांकन (रेटिंग) 100 केवीए तथा इससे अधिक है	**5.28%**
(ii)	अन्य	**5.28%**
C	स्विचगिअर, केवल कनेक्शन सम्मिलित करते हुए	**5.28%**
D	तड़ित चालक	
(i)	स्टेशन प्रकार का	**5.28%**
(ii)	खंभा प्रकार का	**5.28%**
E	सिन्क्रोनस कन्डेंसर	**5.28%**
F	बैट्रियां	**5.28%**
(i)	भूमिगत केबल, जाईंट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सम्मिलित कर	**5.28%**
(ii)	केबल डक्ट प्रणाली	**5.28%**
G	फेब्रीकेटेड इस्पात पर शिरोपरि तन्तुपथ, जो 66 केवी तक तथा इससे अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित किया गया हो।	**5.28%**
H	मापयंत्र (मीटर)	**5.28%**
I	स्वचालित वाहन	**9.50%**

J	वातानुकूलन संयंत्र	
(i)	स्थैतिक (स्टैटिक)	**5.28%**
(ii)	वहनीय (पोर्टेबल)	**9.50%**
k(i)	कार्यालय फर्नीचर तथा फर्निशिंग	**6.33%**
k(ii)	कार्यालय उपकरण	**6.33%**
k(iii)	आन्तरिक वायरिंग, फिटिंग तथा उपकरण सम्मिलित कर	**6.33%**
k(iv)	पथ–प्रकाश जुड़ना (फिटिंग्स)	**5.28%**
L	भाड़े पर प्रदान किये गये उपकरण	
(i)	मोटरों को छोड़कर	**9.50%**
(ii)	मोटरें	**6.33%**
M	संचार उपकरण	
(i)	रेडियो तथा उच्च संवाहक प्रणाली	**6.33%**
(ii)	दूरभाष लाईनें तथा दूरभाष	**6.33%**
N	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण	**15.00%**
O	अन्य परिसम्पत्तियां जो उपरोक्त में सम्मिलित नहीं हैं	**5.28%**

परिशिष्ट–दो

एक माह के लिए पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक की गणना की प्रक्रिया

(Procedure for Calculation of Transmission System Availability Factor for a Month)

1. nवें कैलेण्डर माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक अर्थात 'Transmission System Availability Factor for n^{th}Calendar Month ($TAFp_n$) अथवा 'TAFPN' की गणना तत्संबंधी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (Transmission Licensee) द्वारा की जाएगी तथा इसे संबंधित क्षेत्रीय भारप्रेषण केन्द्र (Regional Load Dispatch Centre) से पृथक–पृथक प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा (Alternating Current-AC) 'एसी' तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (High Voltage Direct Current- HVDC) यथा 'एचवीडीसी पारेषण प्रणाली' हेतु सत्यापित तथा प्रमाणित कराया जाएगा तथा पारेषण प्रभारों के परस्पर हिस्सेदारी (Sharing) द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा (AC) प्रणाली के प्रकरण में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना प्रत्येक क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (Regional Transmission System) तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली (InterRegional Transmission System) के लिए की जाएगी।

2. nवें कैलेण्डर माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक ("$TAFp"_n$) की गणना निम्न पहलुओं पर विचार करते हुए की जाएगी :

   (i) **AC पारेषण तन्तुपथ (AC Transmission Lines)** : AC पारेषण तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ (Circuit) को एक घटक (element) माना जाएगा।

   (ii) **अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (Inter-Connecting Transformers-ICTs)** : प्रत्येक अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर संकोष (ICT Bank) या आईसीटी बैंक (तीन एकल फेज ट्रांसफार्मरों को एक साथ संयोजित करते हुए) एक घटक (element) का गठन करेगें।

   (iii) **स्थैतिक वार क्षतिपूरक (Static VAR Compensator-SVC)** अथवा 'SVC' : SVC मय SVC ट्रांसफार्मर द्वारा एक घटक (element) का गठन किया जाएगा।

   (iv) **बस प्रतिघातक (Bus Reactors)/ अथवा स्विचेबल तन्तुपथ प्रतिघातक (Switchable line reactors)**- प्रत्येक बस प्रतिघातक (Bus Reactor) अथवा स्विचेबल तन्तुपथ प्रतिघातक (Switchable Line Reactor) को एक घटक माना जाएगा।

(v) **उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा द्वि–ध्रुवीय संयोजन (HVDC Bi-Pole links)-** HVDC संयोजन के प्रत्येक ध्रुव (पोल) को दोनों छोरों पर सहायक उपकरण (associated equipment) के साथ एक घटक (element) माना जाएगा।

(vi) **उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र (HVDC back to back station)** : उच्च वोल्टेजदिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र (HVDC back-to back station) के प्रत्येक खण्ड (block) को एक घटक (element) माना जाएगा। यदि संबद्ध एसी तन्तुपथ (AC line) {जो उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र के माध्यम से अन्तर्क्षेत्रीय विद्युत् (inter-regional powers) के अन्तरण के लिए आवश्यक है} उपलब्ध न हो तो उच्च वोल्टेजदिष्ट धारा पृष्ठासन्न केन्द्र खण्ड को भी अनुपलब्ध (unavailable) माना जाएगा।

(vii) **स्थैतिक समकालिक क्षतिपूर्ति (स्टैटकॉम)** : प्रत्येक स्टैटकॉम (STATCOM) को पृथक घटक माना जाएगा।

3. पारेषण प्रणाली की प्रत्यावर्ती धारा (AC) तथा उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (HVDC) अंश (portion) की गणना पारेषण घटकों की प्रत्येक श्रेणी पर विचार करते हुए निम्नानुसार की जाएगी :

एसी प्रणाली हेतु टीएएफएमएन प्रतिशत {TAFMn (in %) For AC System}

$$= \frac{o \times AVo)+(p \times AVp) + (q \times AVq) + (r \times AVr)+(u \times AVu)}{(o + p + q + r+u)} \times 100$$

जहां

o = AC तन्तुपथों की कुल संख्या

AVo = AC तन्तुपथों (AC lines) की ' o ' संख्या की उपलब्धता

p = बस प्रतिघातकों (Bus Reactors)/स्विचेबल तन्तुपथ प्रतिघातकों (Switchable line reactors) की कुल संख्या

AVp = बस प्रतिघातकों (Bus Reactors)/स्विचेबल तन्तुपथ प्रतिघातकों (Switchable line reactors) की ' p ' संख्या की उपलब्धता

q = अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की कुल संख्या

AVq = अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की ' q' संख्या की उपलब्धता

r = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों (SVCs) की कुल संख्या

AVr = स्थैतिक वार क्षतिपूरकों (SVCs) की ' r' संख्या की उपलब्धता

u = स्टैटकॉम (STATCOM) की कुल संख्या

AVu ='u' संख्या में स्टैटकॉम (STATCOM) की उपलब्धता

HVDC प्रणाली हेतु प्रतिशत टीएएफएमएन{TAFMn(in%) For HVDC System} :

$$= \frac{\sum_{x=1}^{s} \text{Cxbp(act)} \text{ X AVxbp} + \sum_{y=1}^{t} \text{Cy(act)btb X AVybtb}}{\sum_{x=1}^{s} \text{Cxbp} + \sum_{y=1}^{t} \text{Cybtb}} \text{ x } 100$$

जहां

Cxbp(act)	=	'x' वेंHVDC पोल की वास्तविक परिचालन क्षमता
Cxbp	=	'x' वेंHVDC पोल की कुल निर्धारित क्षमता
AVxbp	=	'x' वेंHVDC पोल की उपलब्धता
Cybtb(act)	=	'y' वेंHVDC पृष्ठासन्न केन्द्र खण्ड की कुल संचालित क्षमता
AVybtb	=	'y' वेंHVDC पृष्ठासन्न केन्द्र खण्ड की कुल उपलब्धता
S	=	HVDC ध्रुवों (Poles) की कुल संख्या
T	=	HVDC पृष्ठासन्न खण्डों की कुल संख्या

4. पारेषण घटकों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की गणना भारिता कारक (weightage factor) उक्त अवधि के प्रत्येक घटक हेतु विचाराधीन (under consideration) कुल घंटों की अवधि तथा अनुपलब्ध घंटों (non-available hours) की अवधि के आधार पर की जाएगी।

पारेषण घटकों की प्रत्येक श्रेणी हेतु गणना के सूत्र **परिशिष्ट–तीन** के अनुसार होंगे। पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु भारित कारक (weightage factor) को निम्नानुसार माना जाएगाः

(क) AC तन्तुपथ के प्रत्येक परिपथ (circuit) हेतु–परिपथ में उप चालकों (sub-conductors) की संख्या तथा सर्किट किमी (ckt-km) का गुणनफल ;

(ख) प्रत्येक HVDC Pole हेतु–निर्धारित मेगावाट क्षमता x सर्किट किमी ;

(ग) प्रत्येक अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (ICT) बैंक हेतु–निर्धारित एमवीए क्षमता ;

(घ) स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC) हेतु–निर्धारित MVAR क्षमता {प्रेरक (inductive} तथा संधारित्र {(Capacitive)} ;

(ङ) बस प्रतिघतक/स्विचेबल तन्तुपथ प्रतिघातकों (Bus Reactor/Switchable Line ReactorS) हेतु–निर्धारित MVAR क्षमता ;

(च) दो क्षेत्रीय ग्रिडों (regional grids) को संयोजित करने वाले HVDC पृष्ठासन्न–केन्द्र (back to back station) हेतु–प्रत्येक खण्ड की निर्धारित MW क्षमता ; तथा

(छ) स्टेटकॉम (STATCOM) हेतु – कुल निर्धारित एमवीएआर क्षमता।

5. अवरोध (Outage) के अंतर्गत निम्न पारेषण घटकों (transmission elements) को उपलब्ध माना जाएगा।

(i) आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य पारेषण योजना (transmission scheme) अथवा नवीन घटक के निर्माण अथवा विद्यमान प्रणाली में नवीनीकरण/उन्नयन/अतिरिक्त पूंजीकरण के संधारण हेतु प्रणाली बंद किये जाने हेतु प्राप्त की गई सुविधा। यदि अन्य पारेषण योजना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व में हो तो संबंधित क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मानी गयी उपलब्धता अवधि को उक्त समय सीमा के भीतर नियंत्रित कर सकेगा जैसा कि उसके द्वारा सन्निहित कार्य हेतु युक्तिसंगत माना जाए। मानी गई उपलब्धता के बारे में किसी विवाद के प्रकरण में, मामले को उपयुक्त प्राधिकारी को निवारण हेतु 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ii) संबंधित क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशानुसार किसी पारेषण तन्तुपथ (transmission line) की आधिक्य वोल्टेज को नियंत्रित किये जाने हेतु तथा चालू प्रतिघातकों (reactors) की हस्तचालित व्यवस्था द्वारा विद्युत आपूर्ति को बंद करना।

6 निम्न आकस्मिकताओं के बारे में विचाराधीन अवधि के दौरान, पारेषण घटकों की अवरोध अवधि को जैसा कि इसे संबंधित क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जाए, घटक के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा :

(i) दैविक प्रकोप तथा विशेष आकस्मिक घटनाओं (force majeure) के कारण घटकों का अवरोध जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण बाहर परिस्थितियों द्वारा निमित्त हो। तथापि, कथित अवरोध विशेष आकस्मिक घटनाओं के कारण है (न कि रूपांकन की विफलता के कारण), का सत्यापन संबंधित क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा घटक की युक्तियुक्त पुनर्स्थापना (reasonable restoration) समय के बारे में विचार किया जाएगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घटक की पुनर्स्थापना (restoration) हेतु युक्तिसंगत समय से अधिक समय को अवरोध समय माना जाएगा तथा इस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उत्तरदायी माना जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा युक्तिसंगत पुनर्स्थापना समय के बारे में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या किसी विशेषज्ञ से परामर्श किया जा सकेगा। आपात पुनर्स्थापना प्रणाली (Emergency Restoration System) के माध्यम से पुनर्स्थापित परिपथों (restored circuits) को उपलब्ध माना जाएगा ;

(ii) किसी ग्रिड की घटना (grid incident) / विक्षोभ (disturbance) के कारण घटित अवरोध (outage caused), जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कारण न हो, उदाहरण के तौर पर अन्य किसी अभिकरण (Agency) के स्वामित्व वाले उपकेन्द्र तथा 'बे' में दोष (fault) जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के घटकों में अवरोध उत्पन्न करता हो, ग्रिड में विक्षोभ के कारण तन्तुपथों, अन्तर्संयोजित ट्रांसफार्मरों, उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा (HVDC) आदि से विद्युत् की आपूर्ति बंद होना। तथापि, यदि ग्रिड की घटना / विक्षोभ के पश्चात् घटक की पुनर्स्थापना क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र से निर्देशों की प्राप्ति के उपरांत भी युक्तियुक्त समय में उसे सामान्य स्थिति में लाते समय प्राप्त न हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनर्स्थापना हेतु अवरोध अवधि बाबत् जारी किये गये दिशा–निर्देशों के पश्चात घटक को अनुपलब्ध माना जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत अवरोध कारण के बारे में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ किसी मतभेद के प्रकरण में, इसे उपयुक्त प्राधिकारी को तीस दिवस के भीतर निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। उपरोक्त प्रकरण का निराकरण दो माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि जहां अनुशंसा को साठ दिवस के भीतर अन्तिम रूप देने में कठिनाई अथवा विलंब हो वहां संबंधित क्षेत्रीय / राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रकरण के अन्तिम निर्णय होने तक प्रावधिक आधार (provisional basis) पर अवरोध घंटों (outage hours) की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

7. **पारेषण प्रणाली उपलब्धता के प्रमाणीकरण हेतु समय सीमा** :

(1) संबंधित क्षेत्रीय / राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण हेतु निम्न अनुसूचि (scheme) का अनुसरण किया जाएगा :

- पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र / घटकों को अवरोध आंकड़ों (outage data) का प्रस्तुतिकरण – आगामी माह की पांचवी तिथि तक;
- राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अवरोध आंकड़ों (outage data) की समीक्षा तथा इसे तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र को अग्रेषित करना – माह की बीसवीं तिथि तक; और
- तत्संबंधी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा उपलब्धता प्रमाण–पत्र जारी करना – आगामी माह की तीसरी तिथि तक ।

पारेषण घटकों की प्रत्येक श्रेणी हेतु उपलब्धता की गणना हेतु सूत्र (FORMULA FOR (CALCULATION OF AVAILABILITY OF EACH CATEGORY OF TRANSMISSION ELEMENTS)

AV_0 (0 संख्या में एसी लाइनों की उपलब्धता)

{AV_0 (Availability of $_0$ no. of AC lines) } = $\frac{\sum_{i=1}^{o} Wi(Ti - TNAi)/Ti}{\sum_{i=1}^{o} Wi}$

AV_q {$_q$ संख्या में अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की उपलब्धता}

{AV_q (Availability of $_q$ no. of ICTs) = $\frac{\sum_{k=1}^{q} Wk(Tk - TNAk)/Tk}{\sum_{k=1}^{q} Wk}$

AV_r ($_r$ संख्या में स्थैतिक वार क्षतिपूरकों की उलपब्धता)

{AV_r (Availability of $_r$ no. of SVCs) }= $\frac{\sum_{l=1}^{r} Wl(Tl - TNAl)/Tl}{\sum_{l=1}^{r} Wl}$

AV_p ($_p$ संख्या में स्विचयोग्य बस प्रतिघतकों की उपलब्धता)

{AV_p(Availability of $_p$ no. of Switched Bus reactor} = $\frac{\sum_{m=1}^{p} Wm(Tm - TNAm)/Tm}{\sum_{m=1}^{p} Wm}$

AV_u u संख्या में (स्टेटकॉम की उपलब्धता)

{ Availability of u no. of STATCOMS} = $\frac{\sum_{n=1}^{u} Wn(Tn - TNAn)/Tn}{\sum_{n=1}^{u} Wn}$

AV_{xbp} (एक वैयक्तिक HVDC पोल की उपलब्धता)

{Availability of an indivual HDVC Pole} = $\frac{(Tx - TNAx)}{Tx}$

AV_{btb} (एक वैयक्तिक HVDC पृष्ठासन्न खण्डों की उपलब्धता)

{Availability of an individual HVDC Back-to back Blocks} = $\frac{(Ty - TNAy)}{Ty}$

उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा पारेषण प्रणाली हेतु (For HVDC transmission system)

नवीन HVDC क्रियाशील किये गये परन्तु जिनके द्वारा बारह माह की अवधि पूर्ण न की गई हो :

प्रथम बारह माह हेतु : [(AV_{xbp} अथवा AV_{ybtb})x 95% / 85%] उच्चतम सीमा 95% के अध्यधीन

O = AC लाईनों की संख्या ;

AV_o = O संख्या में AC लाईनों की उपलब्धता ;

P = बस प्रतिघातकों (reactors) / स्विचेबल तन्तुपथ प्रतिघातकों (Switchable Line Reactors) की संख्या ;

AV_p = P संख्या में बस प्रतिघातकों (reactors) / स्विचेबल तन्तुपथ प्रतिघातकों (Switchable Line Reactors) की उपलब्धता ;

q= अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मरों (ICTs) की संख्या ;

AV_q = q संख्या में ICTs की उपलब्धता ;

r= स्थैतिक वार क्षतिपूरकों (SVCs) की संख्या ;

AV_r = r संख्या में SVCs की उपलब्धता ;

AV_u = u संख्या में स्टेटकॉम (Statcoms) की उपलब्धता ;

W_j = j वी पारेषण लाईन का भारिता कारक (weightage factor) ;

W_k = *k* वें अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (ICT) का भारिता कारक ;

W_l= *l*वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक के प्रेरक (inductive) तथा संधारित्र (capacitive) परिचालन का भारिता कारक ;

W_m = m वें बस प्रतिघातक (bus reactor) का भारिता कारक ;

W_n = n वें स्टेटकॉम (Statcom) का भारिता कारक ;

T_j, T_k, T_l, T_m T_n, T_j, T_x, T_y विचाराधीन अवधि के दौरान j वीं AC लाईन, K वें अन्तर्संयोजन ट्रांसफार्मर (ICT) l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC), m वीं T_y स्विचड बस प्रतिघातक (Switched Bus Reactor) तथा n वें स्टेटकॉम (Statcom), x वें एचवीडीसी पोल (HVDC pole), *y*वें HVDC पृष्ठासन्न खण्डों की समयावधि, घटों में (अवरोध जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं है, से संबंधित समयावधि को छोड़कर जिन हेतु कारण प्रक्रिया के पैरा 5 में दर्शाये गये हैं।

T_{NAi} ,T_{NAk}, T_{NAj} , T_{NAm},T_{NAn}, T_{NAx}, T_{NAy}- i वी एसी लाईन, j वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल (HVDC pole), *k* वें अन्तःसंबद्ध ट्रांसफार्मर (ICT), l वें स्थैतिक वार क्षतिपूरक (SVC), *m* वें स्विचयुक्त बस प्रतिघातक (Switched Bus Reactor) तथा n वें स्टेटकॉम, *x* वें उच्चदाब दिष्ट धारा पोल *(HVDC pole)* तथा *y* वें दिष्टधारा पृष्ठासन्न खण्ड (HVDC back-to-back block) हेतु अनुपलब्धता की अवधि घंटों में {अवरोधों (outages) हेतु समयावधि को छोड़कर जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को आरोप्य नहीं है, जिसे पैरा 5 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार T_{NAn} मानी गई उपलब्धता लिया गया है}।